ओ.बी.सी.

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स

Oriental Bank of Commerce

असाधारण आम बैठक

16 सितम्बर, 2014

Extraordinary General Meeting

16th September, 2014

विषय सूची
CONTENTS

1.	सूचना एव टिप्पणियां Notice and Notes	1 2
2.	व्याख्यात्मक कथन Explanatory Statement	9 10
3.	कानूनी प्रावधान Legal Provisions	13 14
4.	संबंधित अधिनियमों/विनिमयों/अधिसूचनाओं के उद्धरण Extracts of Relevant Acts/Regulation/Notifications	27 28
5.	नामांकन प्रपत्र Nomination Form	45 46
6.	घोषणा Declaration	47 48
7.	व्यक्तिगत सूचना, घोषणा तथा वचनपत्र Personal Information, Declaration and Undertaking	51 52
8.	प्रॉक्सी फार्म Proxy Form	57 58
9.	उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र-सह-मतपत्र पर्ची Attendance Slip cum Entry Pass cum Ballot Paper Pass	61 62

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
प्रधान कार्यालय : हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
कारॅपोरेट कार्यालय : प्लॉट सं. 5, सेक्टर-32 इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुड़गांव-122001

ओ.बी.सी.

Oriental Bank of Commerce
Head Office : Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi - 110001
Corporate Office : Plot No. 5, Sector - 32, Institutional Area, Gurgaon - 122001

असाधारण आम बैठक

16 सितम्बर, 2014

Extraordinary General Meeting

16th September, 2014

सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक मंगलवार, 16 सितंबर, 2014 को प्रात: 10.00 बजे पी.एच.डी. चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, 4/2, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, पी.एच.डी. हाउस, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110016 में निम्नलिखित कार्य करने हेतु आयोजित की जाएगी।

मद संख्या : 1

निम्नलिखित पर एक विशेष संकल्प के रूप में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन सहित या रहित पारित करना:-

"**संकल्प किया** जाता है कि बैकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (योजना) और ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 समय-समय पर यथासंशोधित के प्रावधानों तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और/या संबन्धित अन्य किसी प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा स्वीकृति, यदि कोई हों, के अध्यधीन तथा ऐसे अनुमोदन देते समय उनके द्वारा यथानिर्धारित ऐसी शर्तों, दशाओं और आशोधनों के अध्यधीन और जिनपर बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो और विनियमों के अध्यधीन अर्थात् सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 (आईसीडीआर विनियम) अब तक संशोधित, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देश, यदि कोई हों, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के अंतर्गत, अधिसूचनाएं/परिपत्र एवं स्पष्टीकरण, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 तथा अन्य सभी लागू कानून तथा समय-समय पर सभी संबन्धित प्राधिकारियों द्वारा स्टॉक एक्सचेजों के साथ हुए सूचीबद्ध करारों के अधीन जहां बैंक के विनिर्दिष्ट संख्या में इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के अनुसार भारत में अथवा विदेश में, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणिका अथवा ऐसे अन्य दस्तावेज के द्वारा, इक्विटी शेयरों और/अथवा अधिमानी शेयर (चाहे संचयी हों या नहीं, इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय हों अथवा नहीं) की संख्या, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर बनाए गए मार्गनिर्देशों के अनुरूप, सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित और आवंटित करने (निश्चित आबंटन पर आरक्षण के प्रावधान सहित और/अथवा निर्गम के ऐसे भाग के प्रतिस्पर्धी आधार पर तब लागू कानून द्वारा यथा अनुमत्य व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों के लिए) के बारे में बैंक के शेयरधारकों की सहमति एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मण्डल को दी जाती है (यतपश्चात ''बोर्ड'' कहा गया है, जिसके अंतर्गत बोर्ड द्वारा इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए गठित की गई अथवा बाद में गठित की जाने वाली समिति शामिल है) जिनमें अधिमानी शेयरों की श्रेणी, ऐसे अधिमानी शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा विनिर्दिष्ट हो, चाहे बेमीयादी हों या प्रतिदेय, नियम व शर्तें जिनके अध्यधीन अधिमानी शेयरों की प्रत्येक श्रेणी जारी की जाएगी और/अथवा अन्य अनुमत्य प्रतिभूतियां जो इक्विटी में परिवर्तन के योग्य हैं अथवा नहीं, ₹ 1500 करोड़ की राशि से अनधिक, इस तरीके से कि केन्द्र सरकार की धारिता किसी भी समय बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 51% से कम नहीं होगी, बाजार मूल्य के बट्टे अथवा प्रीमियम पर, एक या अधिक चरणों में, निर्गम कर सकता है, जिसमें एक या एक से अधिक सदस्य, बैंक के कर्मचारी, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (एनआरआई) कंपनियां, निजी और सार्वजनिक, निवेश संस्थान, समितियां, न्यास, शोध संस्थान, अहर्ता प्राप्त संस्थागत क्रेता (क्यूआईबी) जैसे कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ़आईआई) बैंक, वित्तीय संस्थान, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर पूंजी निधि, विदेशी वेंचर पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थान या अन्य संस्थाएं, प्राधिकारी, या निवेशकों की कोई अन्य श्रेणी जो इक्विटी, अधिमानी शेयरों/बैंकों की प्रतिभूतियों में विद्यमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार या उपरोक्त में से किसी भी समूह में या जैसा कि बैंक द्वारा उचित पाया जाता है, में निवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं।"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** ऐसा निर्गम प्रस्ताव या आबंटन, अधि-आबंटन के विकल्प सहित अथवा इसके बिना सार्वजनिक निर्गम, राइट इश्यू, निजी स्थानन, कर्मचारी स्टाफ योजना क्रय के द्वारा होगा और ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, स्थानन अथवा आबंटन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
प्रधान कार्यालय : हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
कारॅपोरेट कार्यालय : प्लॉट सं. 5, सेक्टर-32 इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुड़गांव-122001

ओ.बी.सी.

Oriental Bank of Commerce
Head Office : Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi - 110001
Corporate Office : Plot No. 5, Sector - 32, Institutional Area, Gurgaon - 122001

असाधारण आम बैठक

16 सितम्बर, 2014

Extraordinary General Meeting

16th September, 2014

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Oriental Bank of Commerce will be held on Tuesday, the 16th September 2014 at PHD Chamber of Commerce and Industry, 4/2, Siri Institutional Area, PHD House, August Kranti Marg, New Delhi-110016 at 10.00 A.M. to transact the following business:

ITEM NO. 1

To consider and if thought fit, to pass with or without modifications the following special resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (Scheme) and the Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended (Regulations) from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares and/or preference shares (whether cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued and/or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not, for an amount not exceeding ₹ 1500 crore in such manner that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, rights issue, private placement, Employee Stock Purchase Scheme, with or without over-allotment option and that such offer, issue,

एवं अंतरण) अधिनियम 1980, सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 (आईसीडीआर विनियम) के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या यथालागू किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य सभी मार्गनिर्देशों के अनुरूप होगा तथा ऐसे समय पर तथा ऐसे तरीके तथा ऐसे नियम व शर्तों पर होगा जो मंडल अपने संपूर्ण विवेक से उचित समझे।"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड को अपने सम्पूर्ण विवेक से मूल्यों के बारे में जैसा भी आवश्यक हो अग्रणी प्रबन्धकों तथा/या हामीदारों तथा/या अन्य सलाहकारों या किसी अन्य से सलाह करते हुए ऐसे नियम व शर्तो के अधीन मूल्य/मूल्यों को इस प्रकार तय करने का प्राधिकार होगा जो आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों या किसी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मार्ग निर्देशों के अनुसार होगा जिसके निवेशक बैंक के मौजूदा सदस्य हो या न भी हो और ऐसे मूल्य को आईसीडीआर के ससंगत प्रावधानों के अनुसार यथानिर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर तय नहीं किया जाएगा।

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** ससंगत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए सूचीकरण करार, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बैठक) विनियम 2000 के प्रावधानों, आईसीडीआर विनियम के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबन्धन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों तथा विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबन्धन (अंतरण या भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का निर्गम) विनियम 2000 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफ़आईपीबी) औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) या ऐसे सभी आवश्यक प्राधिकारी (जिसे यहां सामूहिक रूप से ''उपयुक्त प्राधिकारी'' कहा गया है) से प्राप्त आवश्यक अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं/या मंजूरी के अधीन, और ऐसी शर्तो के अधीन जो इनमें से किसी ने भी तय की हों जो ऐसा अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं/या स्वीकृति (जिसे यहां अपेक्षित अनुमोदन कहा गया है) देते समय तय की गई हो, के संबंध में बोर्ड अपने सम्पूर्ण प्राधिकार से समय-समय पर एक या अधिक भागों में, इक्विटी शेयर या वारंट से इतर कोई भी प्रतिभूति जो बाद की तारीख में इक्विटी शेयरों के साथ परिवर्तनीय या बदली जा सकती हों, इस प्रकार से निर्गत, प्रस्तावित व आबंटित कर सकता है, जिससे बैंक में केन्द्र सरकार की किसी भी समय इक्विटी पूंजी 51% से कम न हो, और जो अहर्ता प्राप्त संस्थागत क्रेता, (क्यूआईबी) (आईसीडीआर विनियम में यथा परिभाषित) अहर्ता प्राप्त संस्थागत संस्थान (क्यूआईपी) जैसा कि आईसीडीआर विनियमों में चैप्टर VIII में वर्णित है, को प्लेसमेंट दस्तावेज़ के माध्यम से/या इस प्रकार का कोई दस्तावेज़/वचन/परिपत्र/ज्ञापन द्वारा किसी ऐसे मूल्य, शर्त, नियम के अनुसार जिसे उस समय पर व्याप्त कानूनों के अनुरूप अन्य विधिमान्य प्रावधानों या आईसीडीआर के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा तय किया गया हो।"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** आईसीडीआर विनियम के चैप्टर VIII के अनुकरण में अहर्ता प्राप्त संस्थागत स्थानन के मामले में:—

क) आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII के दायरे में अहर्ता प्राप्त क्रेताओं को ही प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णतया प्रदत्त होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तारीख से 12 महीनों के भीतर पूरा करना होगा।

ख) आईसीडीआर विनियम के विनियम 85 (1) के परंतुक के अनुकरण में बैंक शेयरों को फ्लोर प्राइस के अधिकतम पांच प्रतिशत के बटटे पर प्रस्तावित करने के लिए प्राधिकृत है।

ग) प्रतिभूतियों के लिए फ्लोर प्राइस के निर्धारण की ससंगत तिथि आईसीडीआर विनियमों के अनुसार तय की जाएगी।"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड को निर्गम, आबंटन, तथा इसके सूचीकरण को बोर्ड द्वारा यथा सहमत अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा स्वीकृति प्रदान करते समय भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या किसी उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित या अधिरोपित प्रस्ताव में किसी संशोधन को स्वीकार करने की शक्ति तथा प्राधिकार होगा।"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** नए इक्विटी शेयरों/अधिमानी शेयरों/प्रतिभूतियों का, यदि कोई हों, एनआरआई, एफ़आईआई तथा/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को निर्गम और आबंटन विदेशी मुद्रा विनियम प्रबंधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने पर यथा लागू सीमा किंतु अधिनियम की समग्र सीमा के अंतर्गत किया जाएगा।

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** निर्गत होने वाले नए इक्विटी शेयर ओरियंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (शेयर एवं बैठकें) विनियम 1988, यथा संशोधित के अधीन होंगे एवं इन्हें हर तरह से बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समरूप माना जाएगा और घोषित लाभांश यदि कोई हो तो, के हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक मार्ग निर्देशों के अनुसार होगा।"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** इक्विटी शेयर/अधिमानी शेयरों/प्रतिभूतियों के किसी भी निर्गम या आबंटन को प्रभावी बनाने के लिए बोर्ड एतदद्वारा सार्वजनिक ऑफर की शर्तें तय करने के लिए प्राधिकृत है जिसमें निवेशकों की वह श्रेणी जिनको प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक

placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and/or underwriters and/or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the provisions of the Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and/or such other documents/writings/ circulars/memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time"

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations

a) the allotment of securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such securities shall be fully paid-up and the allotment of such securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution."

b) The Bank is pursuant to proviso to Regulation 85(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.

c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares/preference shares/securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

भाग में आबंटित होने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, इश्यू का मूल्य, इश्यू का प्रीमियम मूल्य जिसके संबंध में बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से जैसा भी उचित समझें, इस प्रकार के सभी कार्य, कर्म, मामले और विषय के कार्य करने तथा ऐसे विलेखों, दस्तावेजों एवं करारों का निष्पादन करने जो उसके संपूर्ण विवेक से आवश्यक, उपयुक्त या अपेक्षित हों और पब्लिक ऑफर, इश्यू, आबंटन तथा इश्यू से प्राप्त होने वाली राशि के उपयोग से संबन्धित प्रश्नों, कठिनाइयों व शंकाओं का समाधान करने के लिए अनुदेश देने या निर्देश देने तथा नियम व शर्तों के संबंध में ऐसे आशोधन, परिवर्तन, अंतर, बदलाव, विलोपन, परिवर्धन को प्रभावी करने और लागू करने, जो यह अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में उचित व उपयुक्त समझें, जिसके लिए सदस्यों से आगे अनुमोदन लेने की आवश्यकता न हो तथा इस संकल्प के द्वारा बैंक और मंडल को दी गई सभी या किसी शक्ति का प्रयोग मंडल द्वारा किया जा सकता है।"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** मंडल को एतदद्वारा किसी भी बही संचालक (कों), अग्रणी प्रबन्धक(कों), बैंकर(ओं), हामीदार(ओं), जमाकर्ता(ओं), रजिस्ट्रार(ओं), लेखा परीक्षक(ओं) और इस प्रकार के सभी अभिकरणों जो ऐसे इक्विटी/अधिमानी शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम और इससे संबंधित कार्यो में शामिल हो या जुड़े हों, के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाएं करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और ऐसे सभी संस्थाओं व एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क द्वारा पारिश्रमिक देने तथा ऐसे अभिकरणों के साथ सभी प्रकार की व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि का कार्य-निष्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** उपरोक्त को प्रभावी बनाने के लिए बोर्ड बैंक द्वारा नियुक्त अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों सलाहकारों और/या अन्य व्यक्तियों के साथ निर्गम का स्वरूप तथा शर्तें समेत निवेशकों के वर्ग जिन्हें शेयर आबंटित किए जाने हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, (यदि कोई हो, प्रीमियम सहित) अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों/वारंट अधिकार/प्रतिभूतियों के भुगतान/रुपांतरण पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, भुगतान अवधि, इक्विटी शेयरों की संख्या/अधिमानी शेयरों अथवा रुपांतरण या भुगतान पर अन्य प्रतिभूतियां या भुगतान या प्रतिभूतियों के रखे, मूल्य, प्रीमियम या प्रतिभूतियों के निर्गम/रुपांतरण पर छूट, ब्याज दर, रुपांतरण अवधि, रिकार्ड तिथि तय करना अथवा बही बंदी और संबंधित प्रासंगिक विषय, भारत में और/अथवा विदेश में एक या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने हेतु अपने पूर्ण विवेक में बोर्ड को अधिकृत करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** ऐसे शेयरों/प्रतिभूतियों जिनका अभिदान नहीं हुआ है, उनका निपटान मंडल जैसा भी उचित समझे उनको विधिसम्मत तरीके से अपने पूर्ण विवेक से कर सकता है।"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए मंडल को ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामले व विषय जो वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उपयुक्त और अपेक्षित समझें, करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत करता है और शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में उठने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करने और शेयरधारकों के अतिरिक्त परामर्श एवं अनुमोदन के बिना ऐसे सभी काम, कर्म, मामले और विषय करने, सभी दस्तावेजों एवं लिखतों को अंतिम रूप देने व निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जो यह अपने संपूर्ण विवेक से उपयुक्त, उचित अथवा अपेक्षित समझें अथवा अंतिम आशय तक प्राधिकृत किया जाता है कि यह माना जाएगा कि इस संकल्प के प्राधिकार से शेयरधारकों ने इस पर अपना स्पष्ट अनुमोदन प्रदान कर दिया है।"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** संकल्पों को प्रभावी करने हेतु मंडल को एतद्द्वारा यहां प्रदत्त सभी या किसी शक्ति को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यकारी निदेशक/(कों) या निदेशकों की समिति को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

मद संख्या 2

निम्नलिखित विशेष संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, आशोधन सहित या रहित पारित करना:

"**संकल्प किया जाता है कि** 19 जून, 2014 को आयोजित बैंक की 20वीं वार्षिक आम बैठक में बैंक के शेयरधारकों द्वारा पारित विशेष संकल्प जो यथाविदित कानूनों/मार्गनिर्देशों के अनुकरण में तथा अपेक्षित प्रतिबंधों के अध्यधीन ₹ 500 करोड़ से अनधिक राशि के लिए अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थापन (क्यूआईपी) से संबंधित है, के आंशिक संशोधन में, बैंक के निदेशक मंडल को सेबी (पूंजी का निर्मगन और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 के विनियम 85 (1) के परंतुक के अनुकरण में, न्यूनतम मूल्य पर अधिकतम पांच प्रतिशत के बट्टे पर शेयर प्रस्तावित करने के लिए एतदद्वारा बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** 19 जून, 2014 को आयोजित बैंक की 20वीं वार्षिक आम बैठक में बैंक के शेयरधारकों द्वारा पारित उपर्युक्त संदर्भित विशेष संकल्प में निर्धारित अन्य सभी प्रावधान/नियमों व शर्तों को अपरिवर्तित रखा जाए।"

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/preference shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity/preference shares/securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares/preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares/securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman and Managing Director or in his absence to the Executive Director(s) or to the Committee of Directors to give effect to the aforesaid Resolutions."

ITEM NO. 2

To consider and if thought fit, to pass with or without modifications the following special resolution:

"RESOLVED THAT in partial modification of the special resolution passed by the shareholders of the Bank at the 20th Annual General Meeting of the Bank held on 19th June 2014 relating to raising capital through Qualified Institutional Placement (QIP) Issue for an amount not exceeding ₹ 500 crore pursuant to applicable laws/guidelines and subject to requisite sanctions, approval of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price pursuant to proviso to Regulation 85(1) of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009.

"RESOLVED FURTHER THAT all other provisions/terms and conditions as set out in the above referred special resolution passed by the shareholders of the Bank in the 20th Annual General Meeting held on 19th June 2014, remain unchanged."

मद संख्या 3

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3) (i) (जिसे यहां बाद में "अधिनियम" कहा गया है), बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 (जिसे यहां बाद में 'योजना' रहा गया है) के साथ पठित और अधिनियम की धारा 19 के अनुकरण में बनाए गए ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 (जिसे यहां बाद में 'विनिमय' रहा गया है)तथा भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या डीबीओडी नं. बीसी नं. 46 व 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 के साथ पठित संख्या डीबीओडी नं. बीसी नं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 (जिसे यहां बाद में 'आरबीआई अधिसूचना' रहा गया है) तथा भारत सरकार के पत्र दिनांक 03 सितम्बर, 2013 के अनुसार बैंक के शेयरधारकों (केन्द्र सरकार से भिन्न) में से तीन निदेशकों का चुनाव निम्नलिखित संकल्प पारित करके करना।

संकल्प किया जाता है कि योजना के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 (3) (i) तथा इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना तथा भारत सरकार के मार्गनिर्देश के अनुसरण में केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से चुने गए तीन निदेशक, एतद्द्वारा बैंक के निदेशक निर्वाचित किए जाते हैं जो 30 सितंबर, 2014 से पदभार संभालेंगे और इस प्रकार पदभार संभालने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के पूर्ण होने तक पद पर रहेंगे।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

स्थान: गुड़गांव
दिनांक : 12 अगस्त, 2014

एस.एल.बंसल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

टिप्पणियां

- **व्याख्यात्मक कथन**

बैठक की कार्यवाही के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों का व्याख्यात्मक कथन इसके साथ संलग्न है।

- **मताधिकार**

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2(ई) के अनुसार केन्द्र सरकार से भिन्न बैंक का कोई भी शेयरधारक उसके पास रखे शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के **कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने का हेतु पात्र नहीं होगा/होगी।**

उपरोक्त के अध्यधीन, विनिर्दिष्ट तिथि अर्थात् बृहस्पतिवार,14 अगस्त, 2014 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक बैंक के तीन शेयरधारकों के (चुनाव) में भाग लेने (नामांकन, चुनाव लड़ने, मतदान करने) का पात्र होगा और कार्यसूची की मदों पर मतदान करने के लिए विनिर्दिष्ट तारीख को उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु एक मत होगा।

विनियम' के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नामों में है तो रजिस्टर में जिसका नाम पहले है, मतदान के संबंध में, उसको ही, एकमात्र धारक माना जाएगा। अत: यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में हैं तो जिस शेयरधारक का नाम पहले है केवल उसे ही बैठक में भाग लेने का अधिकार है और केवल वही बैठक में नामांकन करने, चुनाव लड़ने व मत देने का पात्र है।

- **प्रॉक्सी की नियुक्ति**

जिस शेयरधारक को बैठक में भाग लेने और मतदान का अधिकार है, उसे अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का भी अधिकार है तथा ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

प्रॉक्सी की सूचना के प्रभावी होने हेतु प्रॉक्सी फॉर्म असाधारण आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् बृहस्पतिवार, 11 सितम्बर, 2014 को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् सायं 5.00 बजे या उस से पहले बैंक के प्रधान कार्यालय या कॉरपोरेट कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए।

- **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

कोई व्यक्ति किसी कंपनी या निगमित निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में असाधारण आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले

ITEM NO. 3

To elect three Directors from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government) in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 and Nationalized Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as the "Scheme") and Oriental Bank of Commerce (Shares & Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as the "Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act, and Notification DBOD.No.BC.No.46 & 47/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 read with DBOD.No.BC.95/ 29.39.001/2010-11 dated May 23, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") and GOI Letter dated 3rd September 2013 by passing the following resolution:-

"RESOLVED THAT three Directors elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with Scheme, Regulations made thereunder, RBI Notification and GOI Directive be and are hereby elected as the Directors of the Bank to assume office from September 30, 2014 and hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

By Order of the Board of Directors

Place : Gurgaon
Date : 12th August, 2014

S.L. BANSAL
Chairman and Managing Director

NOTES

- **EXPLANATORY STATEMENT**

  The Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

- **VOTING RIGHTS**

  In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

  Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Specified Date i.e, on Thursday the 14th August, 2014 will be entitled to participate (to nominate, contest and vote) in the Election of three Shareholder Directors of the Bank (Elections) and shall have one vote for each share held by him/her as on the Specified Date to vote on the items on the agenda.

  As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.

- **APPOINTMENT OF PROXY**

  A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

  The Proxy Form, in order to be effective, must be received at the Head Office or Corporate Office of the Bank not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. of Thursday, the September 11, 2014.

- **APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE**

  No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her

संकल्प की प्रति, जिसे उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिस बैठक में वह पारित किया गया हो व सत्य प्रति प्रमाणित किया गया हो,असाधारण आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् बृहस्पतिवार, 11 सितम्बर, 2014 को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय या कॉरपोरेट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं की जाती।

- **उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र-सह मतपर्ची पत्र**

  शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र सह मतपर्ची पत्र इस सूचना के साथ अनुबंधित है। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उसे भरकर उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उक्त उपस्थिति पत्रक बैठक स्थल पर सौंप दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र में यथास्थिति 'प्रॉक्सी' या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि', जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करें। मतपर्ची पत्र का भाग, मतदान के समय मतपर्ची प्राप्त करने के लिए लौटाया जाए।

- **अंतरण**

  बैंक के शेयर अंतरण कराने के लिए अंतरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र नीचे दिए पते पर शेयर अंतरण एजेंट को भेजे जाएं।

- **पते में परिवर्तन**

  जिन शेयर धारकों के पास मूर्त रूप में शेयर हैं उनसे अनुरोध है कि वे अपने पंजी त पते में हुए परिवर्तन, यदि कोई हो, की सूचना बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें:

  एमसीएस लिमिटेड
  एफ-65, ओखला औद्योगिक क्षेत्र,
  फेस-1, नई दिल्ली-110020
  फोन-011-41406149

जिन शेयरधारकों के पास इलैक्ट्रानिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में हुए परिवर्तन, यदि कोई हो तथा ईसीएस अधिदेश विवरण की सूचना केवल अपने डिपाजिटरी भागीदार को दें।

व्याख्यात्मक कथन

मद संख्या 1

1. बैंक की वर्तमान इक्विटी पूंजी रु. 299.85 करोड़ है और 30 जून, 2014 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.91% है (बासेल-III) जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट 9% से कहीं अधिक है। किंतु बैंक के अनुमानित विकास/विस्तार योजनाओं, बासेल-3 प्रतिमानों को लागू करने और परिणामत: पूंजी प्रभार को ध्यान में रखते हुए पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और सुदृढ़ बनाया जा सके।

2. विकास के अनुमानों के आधार पर, आपके निदेशकों ने पूंजी बढ़ाने का निर्णय लिया है और बढ़ी हुई पूंजी का उपयोग बैंक के सामान्य कारोबारी प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

3. बैंक अपनी प्रदत्त पूंजी बढ़ाने के लिए बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3(2बी)(सी) के अनुसार भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेगा।

4. सूचीकरण करार के खंड 23 के उपखंड-क में प्रावधान है कि बैंक द्वारा कोई आगामी निर्गम अथवा प्रस्ताव किए जाने पर वर्तमान शेयरधारकों को यह यथानुपातिक आधार पर दिया जाए, जब तक कि आम बैठक में शेयरधारक अन्यथा निर्णय न लें। उक्त संकल्प पारित होने पर, मंडल बैंक की ओर से वर्तमान शेयरधारकों को यथानुपातिक आधार के अलावा अन्यथा प्रतिभूतियां जारी व आवंटित कर सकेगा।

5. यह संकल्प बैंक को सार्वजनिक निर्गम के अनुवर्ती, राईट इश्यू, निजी स्थानन, कर्मचारी स्टॉक क्रय याजना (ईपीएफपीए) के द्वारा ईक्विटी शेयर/अधिमानी शेयर/प्रतिभूतियां सृजित, प्रस्तावित, निर्गम और आवंटित करने का प्रस्ताव रखता है। निर्गम से प्राप्त होने वाली राशि से बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट, अपनी पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता को सुदृढ़ बना सकेगा।

as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Head Office or Corporate Office of the Bank not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. of Thursday, the September 11, 2014.

- **ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM - BALLOT PAPER PASS**

  For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass-cum-Ballot Paper Pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip-Cum-Entry-Pass as “Proxy” or “Authorized Representative” as the case may be. Such Entry Passes shall be surrendered to obtain Ballot Paper at the time of Poll.

- **TRANSFERS**

  Share certificates along with transfer deeds should be forwarded to the Share Transfer Agent at the address given below for the transfer of shares of the Bank.

- **CHANGE OF ADDRESS**

  Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

  MCS Ltd.
  F-65, Okhla Industrial Area,
  Phase-I, New Delhi-110020
  Ph. : 011-41406149

Shareholders holding shares in electronic form are requested to intimate changes, if any, in their registered address and ECS mandate details only to their respective Depository Participant(s).

EXPLANATORY STATEMENT

ITEM NO. 1

1. The current Equity Capital of the Bank is ₹ 299.85 Crore and the Capital Adequacy Ratio of the Bank as on June 30, 2014 is 10.91% (BASEL III) which is well above the 9% stipulated by the Reserve Bank of India. However, in view of the projected growth/expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL III norms and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.

2. Based on the growth estimates, your Directors have decided to raise capital and the enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

3. The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, will obtain requisite approval of Government of India, Ministry of Finance and Reserve Bank of India for increasing the paid up capital of the Bank.

4. Sub-Clause (a) of Clause 23 of Listing Agreement provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

5. The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares/preference shares/ securities by way of Follow on Public offer, Rights Issue, Private Placement, Employee Stock Purchase Scheme (ESPS). The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

6. इसके अतिरिक्त यह संकल्प निदेशक मंडल को यह अधिकार देता है कि वह आईसीडीआर विनियमों द्वारा यथापरिभाषित अर्हता प्राप्त संस्थागत खरीदारों के साथ अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन लाए। निदेशक मंडल अपने विवेकानुसार बैंक की निधियां जुटाने के लिए आईसीडीआर विनियमों के अध्याय 8 के अंतर्गत दी गई प्रक्रिया को अपना सकते हैं जिसके लिए उन्हें शेयरधारकों से नए सिरे से अनुमोदन नहीं लेना होगा। आईसीडीआर विनियमों के अध्याय 8 के अनुसार क्यूआईपी निर्गम होने के मामले में क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गम, संगत तारीख से पूर्व 2 सप्ताह के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयरों के अंतिम मूल्य के साप्ताहिक उच्च एवं निम्न मूल्य के औसत से कम मूल्य पर नहीं किया जा सकता है। 'संगत तारीख' का तात्पर्य है उस बैठक की तारीख जब बैंक का मंडल या समिति क्यूआईपी निर्गम खोलने का निर्णय लेता है।

7. प्रस्ताव की विस्तृत शर्तों व नियमों का निर्धारण सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों तथा हामीदारों तथा अन्य एजेंसियों, जिनकी आवश्यकता हो, के परामर्श से, वर्तमान बाजार दशाओं तथा अन्य नियामक अपेक्षाओं पर विचार करने के बाद किया जाएगा।

8. चूंकि प्रस्ताव के मूल्यन का निर्णय अभी नहीं लिया जा सकता अत: निर्गम के शेयरों का मूल्य बताना संभव नहीं होगा। तथापि यह आईसीडीआर विनियमों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 तथा ओरियन्टल बैंक आफ़ कॉमर्स (शेयर और बैठक) विनियम 1998, समय-समय पर यथासंशोधित, के प्रावधानों के अनुरूप अथवा यथालागू या यथाअपेक्षित किसी अन्य मार्गनिर्देश/विनियम/सहमति के अनुरूप होगा।

9. उक्त कारणों से यह संकल्प मंडल को निर्गम की शर्तें निर्धारित करने के लिए पर्याप्त लचीलापन व विवेकाधिकार देने के लिए पारित किया जाना प्रस्तावित है।

10. आबांटित किए गए ईक्विटी शेयर सभी प्रकार से बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के समरूप होंगे। इसके लिए बैंक को विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों की सहमति लेनी अपेक्षित है अत: उक्त प्रस्ताव के लिए आपकी सहमति के लिए अनुरोध किया जाता है।

निदेशक मंडल संलग्न सूचना में मद संख्या 1 में दिए गए विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करता है। बैंक का कोई भी निदेशक इस विशेष संकल्प में हितबद्ध अथवा संलिप्त नहीं है।

मद संख्या 2

बैंक की 19 जून, 2014 को आयोजित 20वीं वार्षिक आम बैठक में क्यूआईपी के माध्यम से, विशेष संकल्प के द्वारा अधिकतम ₹ 500 करोड़ की राशि जुटाने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन लिया गया था। आईसीडीआर विनियमों के विनियम 85 (1) के परंतुक के अनुसरण में, बैंक को न्यूनतम मूल्य पर अधिकतम 5 प्रतिशत के डिस्काउंट पर, शेयर प्रस्तावित करने का अधिकार केवल तभी है जब इस आशय का विशेष संकल्प शेयर धारकों की आम बैठक द्वारा पारित किया गया हो। चूंकि विशेष संकल्प में न्यूनतम मूल्य पर अधिकतम 5 प्रतिशत का डिस्काउंट देने संबंधी विशिष्ट अनुमोदन नहीं लिया गया था, अत: सावधानी के उपाय के तौर पर बैंक इस के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांग रहा है।

निदेशक मंडल संलग्न सूचना की मद संख्या 2 में प्रस्तावित विशेष संकल्प पारित करने की संस्तुति करता है। बैंक का कोई भी निदेशक उक्त संकल्प में हितबद्ध अथवा संलिप्त नहीं है।

मद संख्या 3

निदेशकों का चुनाव

केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों ने 29 सितम्बर, 2011 को आयोजित असाधारण आम बैठक में श्री टी. वलियप्पन, श्रीमती आभा चतुर्वेदी तथा श्री पी.वी. संथानाकृष्णन को शेयरधारक निदेशकों के रूप में चुना था जिन्होंने 30 सितम्बर, 2011 को कार्यगहण किया और उनका कार्यकाल 29 सितम्बर, 2014 को समाप्त हो रहा है।

30 सितम्बर, 2014 को होने वाली रिक्तियों को भरने की दृष्टि से आप का बैंक, 16 सितम्बर, 2014 को होने वाली आसाधारण आम बैठक में शेयरधारक निदेशकों का चुनाव कराने का प्रस्ताव रखता है।

शेयरधारक (केन्द्र सरकार से भिन्न), विभिन्न संगत अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना/मागनिर्देश जिनके संगत उद्धरण/अंश यहां पुन: दिए गए हैं, में दी गई विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अपने नामांकन भेजने के पात्र हैं। शेयरधारकों द्वारा बैंक में जमा किए गए नामांकनों की जांच करने तथा

6. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders. In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the “Relevant Date”. “Relevant Date” shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

7. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other agencies as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

8. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time or any other guidelines/regulations/ consents as may be applicable or required.

9. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

10. The equity shares allotted, shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank. For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution.Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution as set out in item no. 1 of the accompanying notice. None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the Special Resolution,

ITEM NO. 2

The approval of the shareholders was obtained at the 20th Annual General Meeting of the Bank held on 19th June 2014 for raising capital through QIP for an amount not exceeding ₹ 500 crore by way of special resolution. Pursuant to proviso to Regulation 85(1) of ICDR Regulations, the Bank is entitled to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price if a specific resolution to that effect has been passed by the shareholders at the General Meeting. As in the special resolution no specific approval pertaining to offering of discount of not more than five percent on the floor price was obtained, as a matter of abundant precaution, the Bank is seeking the approval of the shareholders for the same.

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution as set out in item no. 2 of the accompanying notice. None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the Special Resolution.

ITEM NO. 3

ELECTION OF DIRECTORS

The shareholders of the Bank other than the Central Government at Extraordinary General Meeting held on 29th September, 2011 elected Shri. T. Valliappan, Smt. Abha Chaturvedi and Shri P.B.Santhanakrishnan as Shareholder Directors who assumed office on 30th September, 2011 and their term comes to an end on 29th September, 2014.

With a view to fill in the vacancies that will arise on 30th September, 2014, your Bank proposes to conduct Election of Shareholder Directors at an Extraordinary General Meeting convened on 16th September 2014.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act/Scheme/Regulations/Notification/Guidlines, the relevant extracts/portions of which are reproduced hereunder. Three directors will be elected either, if the number of nominations is equal to

मंडल की नामांकन समिति द्वारा उनके सक्षम एवं उचित स्तर का निर्धारण करने के बाद यदि नामांकनों की संख्या तीन हो या असाधारण आम बैठक में चुनाव होने के बाद 3 निदेशक चुने जाएंगे। इस प्रकार चुना गया निदेशक 30 सितम्बर, 2014 से कार्यग्रहण करेगा और 3 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेगा।

कानूनी प्रावधान

इस मामले से संबन्धित अधिनियमों/योजना/विनियमों/अधिसूचनाओं में दिए गए प्रावधान निम्न तालिका में दिए गए हैं:–

अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना/निर्देश	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949	धारा 5 (एन-ई) धारा 16(1) धारा 20	➢ पर्याप्त हित ➢ साझा निदेशकों का निषेध ➢ किसी निदेशक के निमित्त या उसकी ओर से कोई ऋण या अग्रिम देने पर प्रतिबंध
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1080	धारा 3 (2ई) धारा 9 (3)(आई) धारा 9(3ए) (ए) से (सी) धारा 9 (3एए) धारा 9 (3एबी) धारा 9(3बी) धारा 13 (2)	➢ मताधिकार पर प्रतिबंध ➢ शेयर धारकों द्वारा चयनित निदेशकों की संख्या ➢ कुछेक क्षेत्रों में विशेष ज्ञान ➢ कोई भी व्यक्ति तब तक निदेशक के पद पर चुने जाने हेतु पात्र नहीं होगा जब तक कि वह अपने पिछले रिकार्ड, निष्ठा या ऐसी शर्तें जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई हैं, के आधार पर सक्षम एवं उपयुक्त स्थिति में न हो। ➢ भारतीय रिजर्व बैंक को इस प्रकार के निदेशक को हटाने का अधिकार दिया गया है जो उक्त अधिनियम की धारा9 (3ए) तथा 9 (3एएए) की अपेक्षाओं को पूरा न करता हो। ➢ सत्यनिष्ठा एवं गोपनियता का दायित्व
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980	खंड 9 (4) खंड 10 खंड 11 खंड 11ए खंड 11बी खंड 12 (8)	➢ निर्वाचित निदेशकों की कार्य अवधि ➢ बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु अयोग्यताएं ➢ निदेशक द्वारा पद रिक्त किया जाना ➢ निर्वाचित निदेशक का पदच्युत होना ➢ निर्वाचित निदेशक के पद पर आकस्मिक रिक्ति को भरना ➢ निदेशकों द्वारा कुछेक व्यवस्थाओं में, वे जहां हितबद्ध हों, हित के प्रकटन
ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 (2008 तक संशोधित)	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	➢ संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग ➢ आम बैठक में मतदान ➢ आम बैठकों में निदेशकों का निर्वाचन ➢ शेयरधारकों की सूची ➢ निर्वाचन हेतु उम्मेदवारों का नामांकन ➢ नामांकनों की जांच ➢ निर्वाचन विवाद ➢ मतदान अधिकारों का निर्णय ➢ विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान ➢ प्रॉक्सी

three after the scrutiny of the nominations which the shareholders submit to the Bank and determination of their Fit & Proper Status by the Nomination Committee of the Board or subsequent election at the Extraordinary General Meeting. A Director so elected shall be deemed to have assumed office from 30th September, 2014 and will hold office for a period of three years.

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/Regulation Act/Scheme/Regulations/Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS/DIRECTIVES	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (n-e) Section 16 (1) Section 20	➢ Substantial Interest ➢ Prohibition of Common Directors ➢ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980	Section 3(2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	➢ Restriction on voting rights ➢ No. of directors to be elected by the shareholders ➢ Special knowledge in certain fields ➢ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. ➢ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. ➢ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	➢ Term of office of elected directors ➢ Disqualifications for being elected as a Director of the Bank ➢ Vacation of office of Director ➢ Removal from office of an elected Director ➢ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director ➢ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (Amended upto 2008)	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	➢ Exercise of rights of joint holders ➢ Voting at General Meetings ➢ Directors to be elected at General Meetings ➢ List of Shareholders ➢ Nomination of candidates for election ➢ Scrutiny of nominations ➢ Election disputes ➢ Determination of voting rights ➢ Voting by duly authorized representative ➢ Proxies

भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या. डीबीओडी नं. बीसी नं. 46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दिनांक: 01.11.2007 तथा डीबीओडी नं. बीसी नं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक: 23.05.2011	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 (3एए) तथा धारा 9 (3एबी) के अनुसरण में	राष्ट्रीयकृत बैंकों के मण्डल के निर्वाचित निदेशकों के लिए सक्षम एवं उपयुक्त प्रतिमान
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 03 सितंबर 2013 संदर्भ संख्या: एफ सं. 16/83/2013-बीओ-आई तथा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों के चयन के संबंध में जारी दिशानिर्देश दिनांक 01.06.2011		सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अंशकालिक गैर- सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के बारे में दिशानिर्देश
आरबीआई मास्टर परिपत्र दिनांक: 01.07.2014 मास्टर परिपत्र डीबीओडी सं. डीआईआर. बीसी. 16/13.03.00/2014-15 दिनांक: 01.07.2014		निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण एवं अग्रिम देने के संबंध में।
सूचीकरण करार का खण्ड 49		'स्वतंत्र निदेशक' संबंधी प्रावधान (सेबी द्वारा यथास्पष्ट)

शेयरधारकों की सुविधा हेतु अधिनियम, विनियमन अधिनियम, योजना/विनियमन तथा भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना नं. डीबीओडी. बीसी. नं0 46 एवं 47/29.39.001/2007.08 दिनांक 1 नवम्बर, 2007 और नं. डीबीओडी.बीसी. नं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 से संबंधित उद्धरण बैंक की वैबसाइट www.obcindia.co.in पर दिए जाएंगे। ये उद्धरण इच्छुक उम्मीदवारों को उप महाप्रबंधक (मर्चेंट बैंकिंग प्रभाग), ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स, प्लॉट नं. 5, सैक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुड़गांव - 122001 को संबोधित लिखित अनुरोध, नामांकन पत्र प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात् सोमवार, 1 सितम्बर, 2014 को या उससे पहले प्राप्त होने पर ई-मेल भी किए जाएंगे।

चुनाव में भाग लेना

वे शेयरधारक जिनके नाम एनएसडीएल/सीडीएसल द्वारा दिए गए शेयरधारकों/हितग्राही स्वामियों के रजिस्टर में (संयुक्त धारक के मामले में प्रथम धारक) विनिर्दिष्ट तारीख अर्थात् बृहस्पतिवार, 14 अगस्त, 2014 को होंगे वे केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में भाग लेने अर्थात् नामांकित करने, चुनाव लड़ने व मतदान करने के पात्र होंगे।

बैंक का निदेशक चुने जाने के लिए अपेक्षित योग्यताएं

(क) अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक होने के नाते और अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत बैंक के निदेशक के पद के लिए चुने जाने के इच्छुक प्रत्याशी को:-

- निम्नलिखित में से एक अथवा एक से अधिक विषयों का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो:
  - कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था
  - बैंकिंग
  - सहकारिता
  - अर्थशास्त्र
  - वित्त
  - विधि
  - लघु उद्योग
  - भारतीय रिजर्व बैंक के मतानुसार ऐसा कोई अन्य विषय जिसका विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव, बैंक के लिए उपयोगी हो सकता है, अथवा
- वह जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करे; अथवा
- कृषकों, कर्मकारों और शिल्पकारों के हित का प्रतिनिधित्व करे।

RBI Notification No. DBOD.No. BC. No. 46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No. DBOD. No. BC. No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980	Fit and Proper criteria for elected directors on the boards of nationalized banks
Letter dated 3rd September 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Guidelines for Selection of Part-time Non-Official Director dated 01.06.2011.		Guidelines for appointment of Part Time Non Official Directors in Public Sector Banks.
RBI Master Circular dated 1st July 2014 - Master Circular DBOD. No. Dir. BC. 16/13.03.00/2014-15 dated July 1, 2014		Granting loans and advances to relatives of Directors
Clause 49 of Listing Agreement.		Provisions relating to 'Independent Director' (as clarified by SEBI)

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme/Regulation as well as RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 will be hosted in the Bank's website www.obcindia.co.in Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the DGM (MBD), Oriental Bank of Commerce at the Corporate Office at Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurgaon on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. Monday, September 1, 2014.

PARTICIPATION IN ELECTION

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders/Beneficial Owners (first holder in case of joint holding) as furnished by NSDL/CDSL as on the Specified Date i.e. on Thursday, August 14, 2014 shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

(a) *In terms of Section 9*(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

- have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-
  - agriculture and rural economy
  - banking
  - co-operation
  - economics
  - finance
  - law
  - small scale industry
  - Any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.
- represents the interest of depositors; or
- represents the interest of farmers, workers and artisans

(ख) अधिनियम की धारा 9(3एए) के अनुसार, बैंक का शेयरधारक होने के नाते और बैंक का निदेशक बनने का इच्छुक प्रत्याशी 'सक्षम और उपयुक्त हैसियत वाला' होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, निर्वाचित निदेशक को प्रसंविदा विलेख निष्पादित करना होगा और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित असाधारण घोषणाएं प्रस्तुत करनी होंगी।

बैंक का निदेशक चुने जाने संबंधी अयोग्यताएं

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खण्ड 10 के अनुसार, कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और बने रहने के अयोग्य होगा यदि:–

- वह किसी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत रहा हो अथवा उसने लेनदारों का भुगतान रोक दिया हो अथवा उसने अपने लेनदारों को ऋण चुकाने में चूक की हो, अथवा
- मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया गया हो और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा
- उसे आपराधिक न्यायालय द्वारा नैतिक भ्रष्टाचार के अपराध का दोषी पाया गया हो, अथवा
- यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ का पद संभाल रहा हो, परन्तु यह पूर्णकालिक निदेशक के पद के लिए नहीं है जिसमें प्रबंध निदेशक तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के तहत बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशक आते हैं और
- यदि वह भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 1 नवम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या: डीबीओडी नं0 बीसी.नं. 46/29.39.001/2007-08 तथा डीबीओडी.बीसी. नं. 47/29.39.001/2007-08 के अनुसार, बैंक के निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा 'सक्षम और उपयुक्त' व्यक्ति न पाया गया हो।

शेयरधारकों की सूची

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 यथासंशोधित के विनियम 64 के अनुसार शेयरधारकों की सूची की प्रति (इलैक्ट्रॉनिक रूप में अर्थात सीडी) बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय गुड़गाँव में उप महाप्रबंधक, (मर्चेंट बैंकिंग विभाग) अथवा महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली से 25 अगस्त, 2014 से ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के पक्ष में नई दिल्ली पर देय, ₹ 35,000 (रु. पैंतीस हजार मात्र) के मांग ड्राफ्ट के भुगतान पर शेयरधारकों द्वारा खरीदने हेतु उपलब्ध होगी। उक्त सूची को खरीदने के इच्छुक उम्मीदवार को यह वचन देना होगा कि इस सूची का उपयोग चुनाव के प्रचार लिए किया जाएगा, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं, चाहे जो भी हो।

सदस्यों का रजिस्टर बैंक के प्रधान कार्यालय तथा कॉरपोरेट कार्यालय, में सभी कार्यदिवसों को (रविवार तथा बैंक अवकाश को छोड़कर) सोमवार से शुक्रवार तक प्रात: 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे के बीच और शनिवार को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे के बीच शेयरधारकों द्वारा जांच के लिए खुला रहेगा।

यदि कोई शेयरधारक इसकी प्रति या चयनित/आंशिक सूचना का कंप्यूटर प्रिंट चाहता है तो वह प्रत्येक 1000 शब्दों या उनके भाग हेतु ₹ 5/- की दर से राशि का पूर्वभुगतान करके प्राप्त कर सकता है।

चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना नं. डीबीओडी.बीसी. नं. 46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवम्बर, 2007 के साथ पठित नं. डीबीओडी.बीसी. नं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 तथा भारत सरकार के दिनांक 01 जून, 2011 के मार्गनिर्देश तथा विभिन्न अधिनियमों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में चुनाव हेतु प्रत्याशी के नामांकन की वैधता निम्नलिखित के अध्यधीन होगी:-

- वह बैंक का शेयरधारक हो व उसके पास चुनाव में भाग लेने के लिए विचार हेतु विनिर्दिष्ट तारीख बृहस्पतिवार 14 अगस्त, 2014 को बैंक के कम से कम 100 (सौ) शेयर हो और बैठक की तारीख तक तथा उसके बाद चुने जाने पर, निदेशक के रूप में उसका कार्यकाल समाप्त होने तक कम से कम 100 शेयर उसके पास रहे।
- सोमवार, 1 सितम्बर, 2014 अर्थात् नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को, वह अधिनियम/योजना/विनियम/भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचनाओं/भारत सरकार के निर्देश के अंतर्गत निदेशक बनने हेतु अयोग्य नहीं ठहराया गया हो।

(b) In terms of Section 9(3AA) of the Act a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status. Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

- if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and
- If he is not found to be 'fit and proper' person in terms of Notification of Reserve Bank of India-DBOD. No. BC. No. 46/29.39.001/2007-08 and DBOD No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.

LIST OF SHAREHOLDERS

As provided in Regulation 64 of the Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e. C.D.) will be available from the Dy.General Manager, (MBD) at Corporate Office, Gurgaon or General Manager at Head Office, New Delhi of the Bank from Monday, the August 25, 2014 onwards for purchase by Shareholders on payment of Rs.35,000/- (Rupees Thirty Five Thousand only) by Demand Draft in favor of Oriental Bank of Commerce payable at New Delhi. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

The Register of Shareholders will be open for inspection on all working days (other than Sundays and Bank Holidays) i.e, Monday to Friday between 10.00 a.m. to 4.00 p.m and on Saturday between 11.00 a.m. to 1.00 p.m. at the Head Office as well as Corporate Office.

If any shareholder requires a copy or computer print of select/part information of the same, it shall be supplied to him on prepayment at the rate of Rs.5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied.

NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India DBOD No. BC. No. 46&47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with DBOD No.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and GOI Guidelines dated 1st June, 2011 and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

- He/she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on Thursday, the August 14, 2014 being the Specified Date of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure as director, if he/she is elected.
- As on Monday, September 1, 2014, being the last date for receipt of nomination, he/she is not disqualified to be Director under the Act/Scheme/Regulation/RBI Notifications/GOI Guidelines.

- नामांकन लिखित में और उक्त अधिनियम के तहत निदेशकों का चयन करने के हकदार कम से कम एक सौ शेयरधारकों अथवा उनके विधिवत् गठित अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, बशर्ते ऐसा शेयरधारक जो कंपनी है, द्वारा नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया जाए और जहां ऐसा किया जाए, वहां उस बैठक, जिसमें यह संकल्प पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा विधिवत् सत्यापित संकल्प की प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय अथवा कॉरपोरेट कार्यालय को भेजी जाए तथा ऐसी प्रतिलिपि को उस कंपनी की ओर से किया गया नामांकन समझा जाएगा।

- नामांकन के साथ अथवा इसमें प्रत्याशी द्वारा की गई घोषणा हो, जो न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, आश्वासन- रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष प्रत्याशी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित की गई हो और यह कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव में खड़े होने का इच्छुक है और वह अधिनियम अथवा योजना अथवा विनियम के तहत निदेशक बनने के अयोग्य नहीं है। इसके साथ उसका विधिवत् हस्ताक्षरित निजी विवरण (बायो डाटा) दिया जाए तथा यह पुष्टि की जाए कि ये विवरण उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और यह वचन कि वह इस घोषणा के बाद सूचना से सुसंगत घटनाओं की जानकारी यथाशीघ्र बैंक को देगा/देगी।

- विनियम में यथानिर्दिष्ट नामांकन फार्म और घोषणा फार्म संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार है (प्रोफॉर्मा बैंक की वेबसाइट www.obcindia.co.in पर भी उपलब्ध है)।

- उसे बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 या राश्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 या ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 एवं गैर सरकारी निदेशकों पर यथालागू भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 01.11.2007 की अधिसूचना नं. डीबीओडी नं. बीसी. 46 व 47/28.39.001/2007-08 तथा दिनांक 01.06.2011 के भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अंतर्गत निदेशक बनने हेतु अयोग्य नहीं ठहराया गया हो।

नामांकन फॉर्म प्रस्तुत करना

केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से बैंक के निदेशकों का चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को प्रस्तुत करने होंगे:—

- विधिवत् भरा गया घोषणा फार्म,
- चुनाव में भाग लेने के पात्र कम से कम 100 शेयरधारकों से नामांकन,
- वैयक्तिक सूचना, घोषणा तथा वचनपत्र संबंधित दस्तावेजों, साक्ष्य जैसे : बायो-डाटा, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि की स्व-प्रमाणित प्रतियां सूचना के साथ संलग्न फॉर्मेटों में एक सीलबंद लिफाफे में उप महाप्रबन्धक (मर्चेंट बैंकिंग प्रभाग), ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स, कॉरपोरेट कार्यालय, प्लॉट नं. 5, इंस्टीटटूशनल एरिया, गुड़गाँव या महाप्रबंधक, ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स, प्रधान कार्यालय, हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कनॉटप्लेस, नई दिल्ली को असाधारण आम बैठक की नियत तारीख से कम से कम 14 दिन पूर्व अर्थात् सोमवार 01 सितम्बर, 2014 को अपराह्न 5.00 बजे या उससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस को प्रस्तुत करने होंगे।

  उक्त नामांकन फार्म तथा अन्य दस्तावेज सभी प्रकार से पूर्ण हों अन्यथा नामांकन रद्द किए जा सकते हैं।

नामांकनों की जांच और निदेशकों का चुनाव

- नामांकनों की प्राप्ति के लिए नियत तिथि के बाद पहले कार्यदिवस मंगलवार 02 सितम्बर, 2014 को बैंक द्वारा नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाएगा तो उसके कारण दर्ज करने के बाद उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 01 नवम्बर, 2007 की अधिसूचना में दिए गए 'सक्षम व उपयुक्त' होने संबंधी मार्गनिर्देशों तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2011 को अथवा समय-समय पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के मंडल पर गैर-सरकारी निदेशकों के नामांकन के संबंध में मार्गनिर्देशों के अनुसार नामांकनों की जांच मंडल की नामांकन समिति द्वारा भी की जाएगी।
- यदि निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली तीन रिक्तियों के लिए केवल तीन वैध नामांकन हों, तो ऐसे नामांकित व्यक्तियों को तुरन्त निर्वाचित हुआ समझा जाएगा और उनके नाम एवं पते इस प्रकार निर्वाचित रूप में प्रकाशित किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में असाधारण आम बैठक की कार्यसूची मद सं. 3 का संचालन नहीं किया जाएगा। नव निर्वाचित निदेशक 30 सितंबर, 2014 को पदभार संभालेंगे।

- The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office or Corporate Office of the Bank such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.

- The nomination is accompanied or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he/she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he/she is not disqualified either under the Act or the Scheme or the Regulations from being a Director along with his/her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his/her knowledge and belief and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

- The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed (The proforma is also available on the Bank's website www.obcindia.co.in)

- He/She is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 or the Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and Notification No.DBOD No.BCNO.46&47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 of Reserve Bank of India and GOI Guidelines dated 01.06.2011 as applicable to Non Official Directors, from being a elected as a director.

SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government should submit:

- Duly filled in Declaration Form;

- Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;

- Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, viz. self attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc., in a sealed envelope to the Dy.General Manager (MBD), Oriental Bank of Commerce, Corporate Office, Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurgaon or to the General Managar, Oriental Bank of Commerce, Harsha Bhawan, E-Block, Cannaught Place, New Delhi on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the Extraordinary General Meeting i.e., on or before 5.00 p.m., of Monday, the September 1, 2014.

  The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:

- Nominations shall be scrutinized on Tuesday, the September 2, 2014 the first working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor.

- Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the 'Fit and Proper' Guidelines dated November 01, 2007 issued by the Reserve Bank of India as well as the Guidelines for nomination of Non Official Directors on the Boards of Public Sector Banks and Financial Institutions as issued by Ministry of Finance, Government of India on 01.06.2011 or from time to time.

- If there are only three valid nominations for the vacancies to be filled by the election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so

- यदि वैध नामांकन तीन से अधिक हों तो चुनाव होगा और चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी (शियों) को चुना गया माना जाएगा और उनके नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान

बैंक कार्यसूची की मद संख्या 1 एवं 2 के संदर्भ में सभी सदस्यों के लिए इलेक्ट्रोनिक माध्यम से मतदान को एक विकल्प के रूप में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से ई-मताधिकार की सुविधा सहर्ष उपलब्ध करा रहा है।

सदस्यों के लिए ई-वोटिंग से संबन्धित निर्देश निम्नानुसार हैं:—

ई-वोटिंग वेबसाइट में लॉग इन

- इंटरनेट ब्राउजर खोलें तथा एड्रेस बार में निम्नलिखित यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com टाइप करें तथा ''एन्टर'' दबाएं।ह्नहोम स्क्रीन प्रदर्शित होने के बाद होमपेज में ही शेयरहोल्डर आइकॉन पर क्लिक करें।
- ड्रॉपडाउन मैन्यू से "ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स" के साथ "इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिक्वेंस नंबर" (ईवीएसएन) का चयन करें तथा सबमिट बटन दबाएं।
- सही खानों (बॉक्स) में निम्नलिखित विवरण के साथ लॉगइन करें :

  (i) डीमैट (अमूर्त) रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए

  प्रयोक्ता आईडी - 16 अंकों का बेनिफिसियल ऑनर आईडी

  पासवर्ड - ईजीएम नोटिसों में/ई-मेल द्वारा भेजे गए इलेक्ट्रॉनिक नोटिस में यूनिक पासवर्ड मुद्रित है।ह्न तथापि, ऐसे सदस्य जिनको एन.एस.डी.एल. के द्वारा पासवर्ड पहले आवंटित किया जा चुका है और इसे बदला है, वे इसी का प्रयोग कर सकते है। यदि वे अपना पासवर्ड भूल चुके है तो वे ''फॉरगेट पासवर्ड'' विकल्प पर जाकर आगे बढ़ सकते है।

  पैन - आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंकों की अल्फान्यूमैरिक स्थायी खाता संख्या को एंटर करें।

  (ii) मूर्त रूप में शेयर रखने वाले सदस्य

  प्रयोक्ता (यूजर) आईडी - सदस्य बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या।

  पासवर्ड - अग्रेशित इलेक्ट्रॉनिक नोटिस में ईजीएम नोटिस/ई-मेल पर मुद्रित यूनीक पासवर्ड।

पैन - आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंकों की अल्फान्यूमैरिक स्थायी खाता संख्या को एंटर करें अथवा यदि पैन को बैंक ने अपडेट नहीं किया गया है तो बैंक/आरटीए के साथ डीमैट में दी गई डिफॉल्ट संख्या एंटर करें।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (मतदान) की प्रक्रिया

क) प्रयोक्ता द्वारा आईडी, पासवर्ड, पैन अथवा डिफॉल्ट नंबर में विवरण लॉगइन करने के बाद, मूर्त रूप में शेयर रखने वाले सदस्य तथा अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले (जिन्होंने पूर्व में अपना पासवर्ड बदला हो) वे वोटिंग स्क्रीन पर सीधे जा सकते है।

ख) अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक जो पहली बार लॉगइन कर रहे है, उन्हें अनिवार्य रूप से नए पासवर्ड फील्ड में जाकर अपना पासवर्ड बदलने की आवश्यकता है तथा उन्हें अपना जनसांख्यिकी (डेमोग्राफिक) विवरण जैसे कि जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी एंटर करना होगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना नया पासवर्ड याद रखें। इस नए पासवर्ड का उपयोग भविष्य में ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स अथवा भारत के किसी अन्य बैंक/कंपनी की ई-वोटिंग संकल्प (पों) में ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है।

ग) नोटिस को पूर्ण रूप से देखने के लिए सदस्य रिजोल्यूशन फाइल लिंक पर क्लिक कर सकते है।

घ) संकल्प के प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत शेयरों की संख्या दें (जो वोट की संख्या को परिलक्षित करता है), यदि सदस्य हां/ना में मतदान करना चाहता है तो ऐसा सदस्य की कुल शेयरधारिता से ज्यादा नहीं होगा।

elected. In such an event the agenda item 3 at the Extraordinary General Meeting will not be conducted. The newly elected directors will assume office on 30th September, 2014.

- If there are more than three valid nominations, Election will be held and candidates polling the majority of the votes at the election will be deemed to have been elected and their names will be published in newspapers.

E-VOTING

The Bank is pleased to provide e-voting facility through National Securities Depository Limited (NSDL) as an alternative in respect of Agenda Item No.(s) 1 and 2 to all shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically.

The instructions for members for voting electronically are as under:-

LOGIN TO E-VOTING WEBSITE

- Launch the Internet Browser and type the following URL in the address bar https://www.evoting.nsdl.com/and click on "Enter". The Home screen will be displayed then click on shareholders icon in the homepage.
- Select the "Electronic Voting Sequence Number" (EVSN*) along with "Oriental Bank of Commerce" from the drop down menu and click "SUBMIT".
- Login with the following details in the appropriate boxes:

(i) For Members holding shares in Demat Form

User ID- 16 digits Beneficial Owner ID.

Password- The unique Password has been printed on the EGM notices/e-mail forwarding electronic notice. However, the members who have been allotted their Password earlier by NSDL and have changed it, may use the same. In case they do not remember such Password, they may go to the option "Forget Password" and proceed.

PAN- Enter your 10 digit alphanumeric Permanent Account Number issued by Income Tax Department.

(ii) For Members holding shares in Physical Form

User ID-Registered Folio Number of the member with the Bank.

Password - The unique Password has been printed on the EGM notices/e-mail forwarding electronic notice.

PAN- Enter your 10 digit alphanumeric Permanent Account Number issued by Income Tax Department or Enter the Default Number in case the PAN in not updated with the Bank/RTA or in the Demat Account.

PROCESS OF ELECTRONIC VOTING

(a) After logging in the details of "User id, Password, PAN or Default Number", the Members holding shares in physical form & Members holding shares in demat form (who had changed their password in the past) will reach directly to the voting screen.

(b) Shareholders holding shares in demat, who log in for first time, will be required to mandatorily change their password in the new password field and will also have option to enter their demographic details i.e. date of birth, mobile number and e-mail id. The shareholders are requested to remember the new password. The new password can be used for voting on future e-voting resolution(s) for Oriental Bank of Commerce or any other Bank/Company in India

(c) Click on the Resolution File Link if the member wishes to view the complete Notice.

ङ) मतदान के लिए उपलब्ध संकल्प चुनें और (हां/नहीं) अथवा किसी अन्य उपलब्ध विकल्प को चुनकर अपना मत दें। विकल्प हां का तात्पर्य संकल्प की सहमति और ना का अर्थ संकल्प से असहमति है।

च) विवरण देखें और सबमिट क्लिक करें। ई-वोटिंग पूर्ण हो जाने पर एक पुष्टीकरण बॉक्स दिखेगा। यदि सदस्य अपने मतदान की पुष्टि करना चाहता है तो वह ओके क्लिक कर सकता है और यदि वोट को बदलना चाहता है तो ''केंसिल'' पर क्लिक कर सकता है। सदस्य द्वारा एक बार संकल्प परह्ववोट देने के बाद उसे वोट को बदलने, इसमें संशोधन करनेह्वकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणियां

(i) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अवधि 10 सितंबर, 2014 (9.00 बजे प्रात:) से शुरु होगी और 12 सितंबर, 2014 को (6.00 बजे प्रात:) समाप्त होगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक चाहे वे भौतिक रूप में या अमूर्त रूप में शेयरधारक हों, वे अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अंतिम तारीख 14 अगस्त, 2014 तक कर सकते है।

(ii) शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार उनके द्वारा अंतिम तारीख 14 अगस्त, 2014 तक बैंक की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी के समानुपात में होगा।

(iii) सदस्य द्वारा संकल्प पर एक बार वोट डालने के बाद, उसे बाद में वोट को बदलने या संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) प्रत्येक सदस्य जिसका बैंक में ई-मेल पता पंजीकृत है, उसे लॉगइन आईडी प्रयोक्ता (यूजर) आई डी और पासवर्ड विवरण पंजीकृत ई-मेल पते पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(v) संयुक्त खाताधारकों के मामले में, लॉगइन आईडी/प्रयोक्ता (यूजर) आईडी और पासवर्ड विवरण शेयरों के प्रथम धारक को भेजा जाएगा। तदनुसार, प्रथम धारक को प्रेषित यूजर आईडी और पासवर्ड के इस्तेमाल करते हुए किए गए मतदान को सभी संयुक्त खाता धारकों की तरफ से दिए गए मतदान के रूप में मान्यता दी जाएगी, क्योंकि ऐसा शेयरधारक जो एनएसडीएल की ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से मतदान करता है वह ऐसा सभी संयुक्त शेयरधारकों के निमित्त करता है। प्रथम धारक से तात्पर्य है शेयरों का ऐसा धारक जिसका नाम धारित शेयरों के विरुद्ध सबसे पहले पंजीकृत है।

(vi) संस्थागत शेयरधारक (अर्थात, वैयक्तिक धारकों के अतिरिक्त, एचयूएफ़, एन.आर.आई इत्यादि)।संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार-पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) के साथ वोट के लिए विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर को ई-मेल के माध्यम से अकेंक्षक (स्क्रूटुनाइजर) scrutinizer@snaco.net को तथा उसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in को भेजनी होगी। विषयगत दस्तावेज वाली फाइल कोह्वसदस्य का नाम (ईवीएसएन)दिया जाएगा अर्थात शेयरधारक बैंक XYZ लिमिटेड के मामले में प्राधिकार दस्तावेजी फाइल को "XYZ लिमिटेड (ईवीएसएन)" कहा जाएगा। इन दस्तावेजों को वोट डालने से पूर्व/तुरंत बाद भेजा जा सकता है। तथापि, यदि ऐसी प्रति अकेंक्षक(स्क्रूटुनाइजर)/एनएसडीएल के पास वोटिंग बंद होने से पहले नहीं पहुंच पाती है तो ऐसी वोटिंग को सिस्टम में रद्द माना जाएगा।

(vii) यदि सदस्य पहले ही एन.एस.डी.एल में पंजीकृत है, तो वह अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल वोटिंग के लिए कर सकता है।

(viii) सदस्यों द्वारा वोटिंग के लिए एक ही तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है, अर्थात या तो भौतिक रूप में अथवा ई-वोटिंग द्वारा। यदि सदस्य ई-वोटिंग का विकल्प चुनता है, तो वह भौतिक रूप से मतदान नहीं कर सकता है और इसके विपरीत यही लागू है। तथापि, ऐसे सदस्य जो अपना वोट दोनों भौतिक माध्यम तथा ई-वोटिंग माध्यमों द्वारा डालते हैं, ऐसे में ई-वोटिंग द्वारा डाला गया मत मान्य होगा और भौतिक रूप में डाले गए मत को नजरअंदाज दिया जाएगा।

(ix) मैसर्ज एस.एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी प्रेक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंगह्वप्रक्रिया के लिए अंकेक्षक (स्क्रूटेनाइजर) नियुक्त किया गया है, जो पक्ष या विरुद्ध में डाले गए वोट की रिपोर्ट को तैयार करेंगे तथा इलेक्ट्रोनिक वोटिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात तीन व्यावसायिक दिवसों के भीतर वार्षिक आम बैठक के अध्यक्ष को संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(d) Enter the number of shares (which represents no. of votes) under each of the headings of the resolution, if member want to vote YES/NO, but not exceeding your total holding.

(e) Select the resolution available for voting and cast your vote by choosing the (“YES”/“NO”) or any other appropriate option as may be available. Option ‘YES’ implies assent to the resolution and ‘NO’ implies dissent to the resolution.

(f) Check the details and click ‘SUBMIT’. On completion of e-voting, a confirmation box will appear. If member wish to confirm his vote, click ‘OK’, else to change his vote, click ‘CANCEL’ and accordingly modify the vote. Once the vote on a resolution is casted by the member, he shall not be allowed to change or modify it subsequently;

NOTES

(i) The electronic voting period commences on 10th September, 2014 (9:00 am) and ends on 12th September, 2014 (6:00 am). The electronic voting facility will be disabled by NSDL for voting thereafter. During this period the shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 14th August, 2014, may cast their vote electronically.

(ii) The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of 14th August, 2014;

(iii) Once the vote on a resolution is casted by the member, he shall not be allowed to change or modify it subsequently;

(iv) Every member having a registered email address with the Bank shall be provided with the Login ID/User ID and password details at the registered email address;

(v) In case of joint holders, Login ID/User ID and password details shall be sent to the first holder of the shares. Accordingly, the vote casted using the User ID and password sent to first holder is recognized on behalf of all the joint holders, as the shareholder who casts the vote through the e-Voting services of NSDL is doing so on behalf of all joint holders. First holder shall mean the holder of the shares, whose name is first registered against the shares held;

(vi) Institutional shareholders (i.e., other than Individuals, HUF, NRI etc.) are also required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority Letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail on scrutinizer@snaco.net, with a copy marked to evoting@nsdl.co.in The file containing the said documents should be named as “Member’s name (EVSN)”, e.g., in case of shareholder Bank XYZ Ltd., the file containing the authorization documents should be named as “XYZ Ltd. (EVSN)”. The documents can be sent before/immediately after casting the vote. However, in case the same do not reach Scrutinizer/NDSL before closure of voting, the vote so exercised will be rejected in the system.

(vii) In case the member is already registered with NSDL, he can use his existing User ID and Password for casting his vote.

(viii) Members can opt only one mode for voting i.e. either by Physical Ballot or e-voting. If member opts for e-voting, then he does not vote by Physical Ballot also and vice versa. However, in case member(s) cast their vote both via Physical Ballot and e-voting, then voting done through e-voting shall prevail and voting done by Physical Ballot will be ignored.

(ix) M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Practising Company Secretary has been appointed as the scrutinizer to the electronic voting process, who shall prepare and submit its report of the votes cast in favour or not in favour/ against, to the Chairman of the Meeting within 3 business days from the date of conclusion of the electronic voting period;

(x) The results declared along with the scrutinizer’s report shall be placed on the website of the Bank and on the website of NSDL within 2 business days of the decision on the resolution at the Extraordinary General Meeting;

(x) वार्षिक आम बैठक के संकल्प का निर्णय तथा घोषित परिणामों के साथ अंकेक्षक (स्क्रूटेनाइजर) की रिपोर्ट को बैंक की वेब साइट और एनएसडीएल की वेब साइट पर दो कारोबार दिवस के भीतर प्रदर्शित किया जाएगा।

(xi) पर्याप्त वोट की प्राप्ति के अधीन, संकल्प को वार्षिक आम बैठक की तारीख को पारित माना जाएगा।

(xii) बैठक की सूचना वेबसाइट www.obcindia.co.in पर भी प्रदर्शित है।

(xiii) आप किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, शेयधारकों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू) की सहायता ले सकते हैं तथा www.evoting.nsdl.com में उपलब्ध डाउनलोड खंड से शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल की सहायता ले सकते हैं।

(xiv) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए यूजर मैनुअल www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

16 सितम्बर, 2014 को मतदान प्रक्रिया

निदेशकों के चुनाव से संबंधित कार्यसूची मद सं. 1 व 2 के लिए वोटिंग (ई-वोटिंग के अतिरिक्त) और निदेशकों के चुनाव से संबंधित कार्यसूची मद संख्या 3 के लिए वोटिंग मतदान द्वारा होगी। बैलेट पेपर जारी करने का कार्य अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा इस आशय की घोषणा करने के तुरंत बाद आरंभ किया जाएगा जो अपराह्न 1.30 बजे तक चलेगा। बैलेट पेपर इस प्रयोजन से लगाए गए काउंटरों पर, शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को, रजिस्ट्रेशन के समय जारी किया गया बैलेट पेपर पास प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा। मतों की संख्या, 14 अगस्त, 2014 को उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या के बराबर होगी।

कार्यसूची मद संख्या 1 एवं 2 के मामले में, शेयरधारक उपयुक्त बॉक्स पर निशान लगाकर (सहमत/असहमत) और चुनाव के मामले में शेयरधारक बैलेट पेपर में अपनी पसंद के प्रत्याशियों के नामों के सामने रबड़ की मोहर (x) लगाकर और उसे बैलेट बॉक्स में डालकर अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

इसके बाद वोटों की गिनती शुरू होगी और परिणामों की घोषणा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाएगी।

मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया बैंक द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी , बैंक द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु नियुक्त एक स्वतंत्र सलाहकार (संवीक्षक) द्वारा संचालित की जाएगी और इसका पर्यवेक्षण केन्द्र सरकार के नामिती द्वारा किया जाएगा जो एक प्रेक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

बैंक द्वारा नियुक्त ई-वोटिंग एजेंसी, बैंक के शेयरधारक निदेशकों का चुनाव करवाने के लिए अपेक्षित प्लेटफार्म देने में असमर्थ हैं, अतः बैंक अपने शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा देने में असमर्थ है।

नामांकन वापस लेना

यदि कोई प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेना चाहे तो वह सोमवार, 15 सितंबर, 2014 को बैंक का कार्य-समय समाप्त होने से पहले अर्थात् सायं 5.00 तक किसी भी समय पत्र या फैक्स भेजकर ऐसा कर सकता है।

विवाद

विवाद की स्थिति में इसका निर्धारण ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बैठक) विनियम 1998 के विनियम 67 के अनुसार किया जाएगा।

उद्धरण

यथालागू अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना/मागनिर्देश के संगत अंशों के उद्धरण, शेयरधारकों के लाभ हेतु संलग्न है।

निदेशकों का हित

बैंक के निदेशक अपनी शेयरधारिता की सीमा तक और नामांकन भरने वाले निदेशक, उक्त कार्य में संलिप्त अथवा हितबद्ध माने जाएंगे।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

स्थानः गुड़गांव
दिनांक : 12 अगस्त, 2014

एस.एल.बंसल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(xi) Subject to receipt of the sufficient votes, the resolution shall be deemed to be passed on the date of the Extraordinary General Meeting;

(xii) Notice of the meeting is also displayed at www.obcindia.co.in

(xiii) In case, of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com

(xiv) User Manual for electronic voting is available at www.evoting.nsdl.com

POLL PROCESS ON SEPTEMBER 16, 2014

The voting for Agenda Item No(s) 1 and 2 (in addition to e-voting) and Agenda Item No. 3 pertaining to Election of Directors shall be done by Poll. The issue of Ballot Paper/s will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman & Managing Director and continue upto **1.30 p.m.** Ballot Papers shall be issued at the Counters set up for this purpose to the shareholders/Proxy holders/authorized representatives on surrender of Ballot Paper pass issued at the time of registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them on August 14, 2014.

In case of Agenda Items No.(s)1 and 2, shareholders may mark tick at the appropriate boxes (Assent/Dissent) and in the case of elections they may exercise their right by affixing a rubber stamp (X) against the name of the candidate of their choice in the Ballot Paper and deposit them in the Ballot Box(es).

The counting of votes would be taken up thereafter and result will be announced by the Chairman & Managing Director.

The entire process of Poll and Election would be conducted by the Returning Officer appointed by the Bank, an Independent Consultant (Scrutinizer) appointed for the said purpose by the Bank and would be overseen by the Central Government Nominee who will act as an Observer.

As the E-voting agency appointed by the Bank is unable to provide the requisite platform for conduct of Election of Shareholder Directors of the Bank, the Bank is unable to provide e-voting facility to the shareholders of the Bank.

WITHDRAWAL OF NOMINATIONS

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so by sending a letter or fax at any time prior to closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m., on Monday, the September 15, 2014.

DISPUTES

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations, 1998.

EXTRACTS

Extracts of the relevant portions of the applicable Act/Scheme/Regulations/Notification/Guidelines are annexed for the benefit of the shareholders.

INTEREST OF DIRECTORS

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

By Order of the Board of Directors

Place : Gurgaon
Date : 12th August, 2014

S.L. BANSAL
Chairman and Managing Director

निदेशकों का चुनाव - संगत अधिनियमों, योजना तथा विनियमों इत्यादि से उद्धरण

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(i) के अनुसार शेयरधारक निदेशकों की नियुक्ति धारा 3 की उपधारा (2बी) के खंड (सी) के अंतर्गत निर्गमित पूंजी की सीमा के आधार पर की जाएगी।

बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की संगत धाराएं, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 के यथासंशोधित खंड और ओरियन्टल बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 के संगत विनियम शेयरधारकों की सूचना हेतु नीचे दिए गए हैं।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

साझा निदेशकों के निषेध - धारा 16(1)

भारत में निगमित किसी भी बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल में ऐसा व्यक्ति निदेशक के रूप में शामिल नहीं होगा जो किसी अन्य बैंकिंग कम्पनी में निदेशक हो।

ऋणों एवं अग्रिमों पर प्रतिबंध. धारा 20

1) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में निहित किसी विपरीत बात के होने के बावजूद कोई बैंकिंग कम्पनी -

   क) अपने शेयरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण अथवा अग्रिम नहीं देगी, अथवा

   ख) निम्नलिखित को अथवा इनकी ओर से ऋण अथवा अग्रिम देने हेतु कोई वायदा नहीं करेगी-

      (i) इसका कोई निदेशक

      (ii) ऐसी फर्म, जिसमें इसका कोई निदेशक भागीदार, प्रबन्धक, कर्मचारी अथवा गारंटीदाता के रूप में हितबद्ध हो, अथवा

      (iii) ऐसी कोई कम्पनी, जो बैंकिंग कम्पनी की अनुषंगी न हो अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956(1956 का 1) की धारा 25 के तहत पंजीकृत कम्पनी अथवा सरकारी कम्पनी अथवा जिसकी अनुषंगी अथवा होल्डिंग कम्पनी, जिसमें बैंकिंग कम्पनी का कोई निदेशक, प्रबंधन एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटीदाता हो अथवा जिसमें उसका पर्याप्त हित हो, अथवा

      (iv) ऐसा कोई व्यक्ति जिसके संबंध में इसका कोई निदेशक भागीदार अथवा गारंटीदाता हो।

2) जहां किसी बैंकिंग कम्पनी द्वारा दिया गया ऋण अथवा अग्रिम इस प्रकार हो कि यदि ऋण अथवा अग्रिम दिए जाने की तारीख को उप धारा (1) का खंड (ख) लागू हो तो इसे देने की प्रतिबद्धता नहीं की जा सकती थी अथवा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के प्रारंभ होने के बाद, किन्तु इसके शुरू होने से पूर्व की गई प्रतिबद्धता के अनुसरण में, बैंकिंग कम्पनी द्वारा ऋण या अग्रिम दिया गया हो तो ऋण अथवा अग्रिम मंजूर करते समय विनिर्दिष्ट की गई अवधि के भीतर अथवा जहां ऐसी अवधि निर्धारित न की गई हो, वहां पर उक्त धारा 5 के लागू होने से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व, इस पर देय ब्याज सहित, यदि कोई हो, ऋण अथवा अग्रिम के प्रति बैंकिंग कम्पनी को देय राशि की वसूली के लिए कदम उठाए जाएंगे परन्तु, भारतीय रिज़र्व बैंक किसी भी मामले में इस संबंध में बैंकिंग कम्पनी द्वारा इसे लिखित में दिए गए आवेदन पर ऋण अथवा अग्रिम की वसूली की अवधि का बढ़ा सकता है, जब तक कि ऐसी तारीख उक्त धारा 5 के लागू होने से 3 वर्ष की अवधि के बाद की न हो और यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उचित समझे जाने वाले ऐसे नियमों एवं शर्तो के अध्यधीन हो।

   परन्तु, यह उप धारा संबंधित निदेशक द्वारा बैंकिंग कम्पनी के निदेशक का पदभार छोड़ने, चाहे वह मृत्यु, सेवानिवृत्त अथवा त्यागपत्र अथवा अन्यथा रिक्त किया गया हो, के मामले में लागू नहीं होगी।

3) उप धारा (2) में उल्लिखित, कोई ऋण अथवा अग्रिम अथवा इसका कोई अंश भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना माफ नहीं किया जाएगा और ऐसे अनुमोदन के बिना दी गई किसी प्रकार की कर्ज माफी शून्य और प्रभावहीन मानी जाएगी।

ELECTION OF DIRECTORS – EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS, ETC.

In terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Shareholder Directors shall have to be appointed to the extent of capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 of the Act.

The relevant Sections of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and the relevant regulations of Oriental Bank of Commerce (Shares & Meetings) Regulations, 1998 respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Prohibition of Common Directors – Section 16(1)

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances – Section 20

1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking Company shall –

   a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or

   b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of –

      (i) any of its Directors

      (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or

      (iii) any company [not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company] of which [or the subsidiary or the holding company of which] any of the Directors of the Banking Company is a Director, Managing Agent, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or

      (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.

2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5; Provided that the Reserve Bank may, in any case on application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit :

   Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.

4) उप धारा (2) में उल्लिखित कोई ऋण अथवा अग्रिम, जो किसी व्यक्ति द्वारा देय हो, उस उप धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग कम्पनी को अदा न किया गया हो तो ऐसा व्यक्ति, यदि उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख को ऐसी बैंकिंग कम्पनी का निदेशक हो तो ऐसा समझा जाएगा कि उसने उक्त तारीख को अपना पद रिक्त कर दिया है।

व्याख्या इस धारा में

(i) "ऋण अथवा अग्रिम" में ऐसा कोई लेनदेन शामिल नहीं होगा, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लेनदेन के स्वरूप के आधार पर, जिस अवधि में और जिस ढंग से व जिन परिस्थितियों में, लेनदेन के कारण देय किसी राशि की वसूली होने की संभावना से, जमाकर्ताओं के हित और अन्य संबंधित प्रतिफल इस धारा के प्रयोजन हेतु ऋण अथिवा अग्रिम न होने के रूप में विनिर्दिष्ट किए गए हों;

(ii) "निदेशक" में बैंकिंग कम्पनी द्वारा भारत में गठित किसी बोर्ड या समिति का सदस्य् प्रबन्धन के प्रयोजन हेतु अथवा इसके सभी अथवा किसी मामले में प्रबन्धन के संबंध में परामर्श देने के प्रयोजन हेतु, शामिल है।

5) यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि इस धारा के प्रयोजनार्थ कोई लेनदेन ऋण या अग्रिम है अथवा नहीं तो इसे भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा जाएगा और इस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।

2. बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980

मतदान अधिकारों पर प्रतिबंध

धारा 3(2ई) केन्द्र सरकार से भिन्न, बैंक का कोई भी शेयरधारक, अपने पास रखे गए, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान-अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक शेयरों के संबंध में मतदान के अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

निदेशक मंडल की संरचना

धारा 9 (3) (i) जहां धारा 3(i) की उपधारा (2बी) के खंड (सी) के तहत निर्गमित पूंजी -

(i) कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं हो तो एक निदेशक

(ii) कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक पर बत्तीस प्रतिशत से अनधिक हो तो दो निदेशक

(iii) कुल प्रदत्त पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक हो, तो तीन निदेशकों का चुनाव केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा अपने बीच में से किया जाएगा।

बशर्ते कि इस खण्ड के अंतर्गत ऐसे किसी निदेशक का चुनाव होने के बाद कार्यभार संभालने पर, उतनी ही संखया में खंड (एच) के तहत नामित निदेशक इस योजना में यथानिर्दिष्ट ढंग से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

बशर्ते कि इसके साथ निर्वाचित निदेशकों की संख्या के मामले में बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 को या पहले के प्रारंभ से पहले के मामले में कि उप खंड (I) अथवा उप खंड (II), अथवा उप खंड-III, जैसा भी मामला हो, में विनिर्दिष्ट निदेशकों की संख्या से अधिक निर्वाचित निदेशक, जैसा भी हो, योजना में निर्दिष्ट तरीके से सेवानिवृत्त होंगे तथा ऐसे निदेशक अपने कार्यकाल से पूर्व सेवानिवृत हो जाने के लिए मुआवजे का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।

धारा 9 (3ए) खण्ड (i) के तहत चुने जाने वाले निदेशक को

(क) निम्नलिखित में से एक अथवा एक से अधिक विषयों का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो:-

(i) कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था

(ii) बैंकिंग

(iii) सहकारिता

4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then such person shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section –

(i) "Loan or advance" shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;

(ii) "Directors" includes a member of any Board or Committee in India constituted by a Banking Company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.

5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

2. THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1980

Restrictions on voting rights

3(2E) No shareholder of the Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Composition of the Board of Directors

9(3)(i) Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is :-

(i) not more than sixteen per cent of the total paid up capital, one Director

(ii) more than sixteen per cent of the total paid up capital, but not more than thirty two per cent of the total paid up capital, two Directors.

(iii) more than thirty two per cent of the total paid-up capital, three Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government from amongst themselves.

Provided that on the assumption of charge after election of any such director under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Provided further that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub-clause (II) or sub-clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.

9(3A) The Directors to be elected under said clause (i) shall –

(A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters, namely-

(i) agriculture and rural economy

(ii) Banking

(iii) Co-operation

(iv) अर्थशास्त्र
(v) वित्त
(vi) विधि
(vii) लघु उद्योग
(viii) भारतीय रिजर्व बैंक के मतानुसार ऐसा कोई अन्य विषय जिसका विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव, बैंक के लिए उपयोगी हो सकता है; अथवा

(ख) वह जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करे; अथवा

(ग) कृषकों, कर्मकारों और शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करे।

धारा 9 (3एए) उपधारा (3ए) के प्रवधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा इस अधिनियम अथवा इस समय लागू किसी कानून में किसी विपरीत बात के होने के वाबजूद, उप-धारा (3) के खंड (।) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति तब तक निदेशक के पद पर चुने जाने हेतु पात्र नहीं होगा जब तक कि उसकी पिछले रिकार्ड, निष्ठा और ऐसे अन्य मानदंडों के, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में समय-समय पर अधिसूचित किए गए हों, आधार पर सक्षम और उपयुक्त हैसियत न हो।

धारा 9(3 एबी) भारतीय रिज़र्व बैंक उप धारा 3 (एए) के तहत जारी अधिसूचना में उपयुक्त व सक्षम हैसियत का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी, ऐसे निर्धारण का तरीका, निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा आववश्यक समझे जाने वाले अन्य मामले अथवा इससे प्रासंगिक मामलों को भी विनिर्दिष्ट कर सकता है।

धारा 9 (3 बी) जहां भारतीय रिज़र्व बैंक का यह मत हो कि उप धारा (3) के खंड (झ) के तहत चुना गया बैंक का कोई निदेशक उप धारा (3ए) और 3(एए)की अपेक्षाएं पूरी नहीं करता, तो वह ऐसे निदेशक और बैंक को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर देने के बाद ऐसे निदेशक को आदेश द्वारा हटा सकता है और उसे हटाए जाने पर, निदेशक मंडल इस प्रकार हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर उपधारा (3ए) और 3 (एए)की अपेक्षाएं पूरी करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को निदेशक के रूप में तब तक सहयोजित सकता है जब तक बैंक के शेयरधारकों द्वारा आगामी असाधारण आम बैठक में निदेशक का विधिवत चुनाव नहीं किया जाता और इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में विधिवत निर्वाचित माना जाएगा।

निष्ठा और गोपनीयता का दायित्वः

धारा 13 (2): बैंक का प्रत्येक निदेशक, स्थानीय मंडल अथवा समिति का सदस्य, अथवा लेखापरीक्षक, सलाहकार, अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी अपना कार्यभार संभालने से पूर्व तृतीय अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र में निष्ठा और गोपनीयता की घोषणा करेगा।

3. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन और विविध प्रावधान) योजना, 1980

निर्वाचित निदेशकों की पदावधि

खंड 9(4):

निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष तक पद पर रहेगा तथा पुन: चुनाव के लिए पात्र होगा।
परन्तु ऐसा निदेशक लगातार छः वर्ष से अधिक समय के लिए पद पर नहीं रहेगा।

निदेशक बनने के लिए अयोग्यता

खण्ड 10

कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और बनने के अयोग्य होगाः

(क) यदि वह किसी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत रहा हो अथवा उसने लेनदारों को भुगतान रोक दिया हो अथवा उसने अपने लेनदारों के ऋण की चुकौती में चूक की हो; अथवा

(ख) यदि वह मानसिक रूप से स्वस्थ न पाया गया हो और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो; अथवा

(ग) यदि उसे आपराधिक न्यायालय द्वारा नैतिक भ्रष्टाचार के अपराध का दोषी पाया गया हो, अथवा

(iv) Economics

(v) Finance

(vi) Law

(vii) Small scale industry

(viii) Any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank be useful to the Bank.

(B) represents the interests of depositors; or

(C) represent the interest of farmers, workers and artisans

9(3AA) Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based upon the track record, integrity and such other criteria as Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

9(3AB) The Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

9(3B) Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirements of sub-section (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the Bank in the next Extraordinary General Meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

Section 13(2): Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other employee of a Bank shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

3. THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1980

TERM OF OFFICE OF ELECTED DIRECTOR

Clause 9 (4)

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

Clause 10

A person shall be disqualified for being appointed as and for being a Director:-

(a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors or

(b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude

(घ) यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ का पद संभाल रहा हो, परन्तु यह पूर्णकालिक निदेशक के पद के लिए लागू नहीं है जिसमें प्रबन्ध निदेशक तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) और (एफ) के तहत बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशक आते हैं।

निदेशकों की पद रिक्ति

खण्ड 11

(1) यदि कोई निदेशक खण्ड 10 में विनिर्दिष्ट किसी अयोग्यता के कारण अयोग्य हो गया हो अथवा मंडल की अनुमति के बिना इसकी लगातार तीन से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहा हो तो यह माना जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है और उसका पद रिक्त हो जाएगा।

(2) अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (घ) अथवा खण्ड (ग) अथवा खंड (ख) में उल्लिखित अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक अथवा कोई निदेशक, केन्द्र सरकार को लिखित में नोटिस देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और सरकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने पर उसका पद रिक्त हुआ माना जाएगा (और कोई अन्य निदेशक केन्द्र सरकार को लिखित में नोटिस देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और ऐसा त्याग पत्र, केन्द्र सरकार द्वारा त्यागपत्र संबंधी सूचना प्राप्त होने पर प्रभावी होगा।

(3) उपरोक्त उप खण्ड के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खण्ड (ई) अथवा खण्ड (एफ) में संदर्भित निदेशक का पद तभी रिक्त हो जाएगा जैसे ही वह निदेशक, जिस राष्ट्रीयकृत बैंक का निदेशक है, उसके कर्मकार से भिन्न कर्मकार अथवा कर्मचारी नहीं रहेगा।

(4) यदि निर्वाचित निदेशकों से भिन्न किसी निदेशक का पद रिक्त होता है तो इसे अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के अनुसार भरा जाएगा।

निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना

खण्ड 11 क

केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारक, ऐसे शेयरधारकों, जिनकी कुल शेयरधारिता ऐसे सभी शेयरधारकों द्वारा धारित शेयर पूंजी के आधे से कम न हो, के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (झ) के तहत निर्वाचित किसी निदेशक को हटा सकते हैं और रिक्त स्थान को भरने के लिए उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं।

निर्वाचित निदेशक के रिक्त पद को भरना

खण्ड 11 ख

(1) यदि निर्वाचित निदेशक की पदावधि की समाप्ति से पूर्व कोई पद रिक्त होता है तो रिक्त स्थान की पूर्ति निर्वाचन द्वारा की जाएगी।

परन्तु यदि रिक्ति की अवधि छः माह से कम होने की संभावना हो तो रिक्त स्थान की पूर्ति शेष निदेशकों द्वारा की जा सकती है।

(2) उप खंड (1) के अंतर्गत निर्वाचित या सहयोजित, यथास्थिति, निदेशक अपने पूर्ववत की समाप्त न हुई अवधि के लिए उक्त पद पर कार्य करेगा।

निदेशकों द्वारा हित प्रकटीकरण

खण्ड 12(8)

जो निदेशक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा या उसकी ओर से किए गए या किए जाने हेतु प्रस्तावित किसी अनुबंध, ऋण,व्यवस्था या प्रस्ताव से संबंधित होता है या उसमें हित रखता है तो वह संबंधित परिस्थितियों की जानकारी होते ही यथाशीघ्र मंडल को अपने हित के स्वरूप की जानकारी देगा और वह मंडल की उस बैठक में उपस्थित नहीं होगा जहां ऐसा कोई अनुबंध, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया जाए जब तक कि उसकी उपस्थिति अन्य निदेशकों द्वारा सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से अपेक्षित न हो और इस प्रकार उपस्थित होने पर कोई निदेशक ऐसे किसी अनुबन्ध, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव के लिए मतदान नहीं करेगा।

(d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from amongst the employees of the Bank.

VACATION OF OFFICE OF DIRECTORS

Clause 11

(1) If a Director becomes subject to any of disqualifications specified in clause 10 or is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof, he shall deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.

(2) The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.

(3) Without prejudice to the provisions of the foregoing sub-clauses, the office of a Director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee other than workman of the Nationalized Bank of which he is a Director.

(4) Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

REMOVAL FROM OFFICE OF AN ELECTED DIRECTOR

Clause 11A

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

FILLING OF VACANCY IN THE OFFICE OF AN ELECTED DIRECTOR

Clause 11B

(1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled in the election.

Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled by the remaining Directors

(2) A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

DISCLOSURE OF INTEREST BY DIRECTORS

Clause 12(8)

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalized Bank, shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be

बशर्ते कि इस उप-खंड में दी गई कोई भी बात ऐसे किसी निदेशक पर मात्र इसलिए लागू नहीं होगी कि वह:—

(i) एक ऐसा शेयरधारक है (निदेशक से भिन्न) जिसके पास कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथापरिभाषित किसी सार्वजनिक कम्पनी या भारत में उस समय प्रभावी किसी कानून द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित किसी निगम अथवा किसी सहकारी समिति, जिसके साथ या जिससे उक्त राष्ट्रीयकृत बैंक अनुबंध, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव करने का करार करता है या करने का प्रस्ताव करता है, की प्रदत्त पूंजी में दो प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता नहीं है।

(ii) राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (ङ) अथवा खण्ड (च) में उल्लिखित एक निदेशक है।

IV. ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कामर्स (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998

संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग करना

विनियम 10

यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम में है तो रजिस्टर में प्रथम नाम वाले व्यक्ति को मत देने, लाभांश प्राप्त करने, नोटिस प्राप्त करने और ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स से संबंधित सभी या किसी अन्य मामले में, केवल शेयरों के अंतरण को छोड़कर, एकल धारक माना जाएगा।

आम बैठक में निदेशकों का चुनाव

विनियम 63

(i) उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निदेशक की आम बैठक में, बैंक के रजिस्टर पर केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा अपने बीच से चुना जाएगा।

(ii) जब किसी आम बैठक में निदेशक का चुनाव किया जाना हो तो इसकी सूचना बैठक के आयोजन की सूचना में शामिल होनी चाहिए। ऐसी प्रत्येक सूचना में निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या और उन रिक्तियों का विवरण, जिनके बारे में निर्वाचन किया जाना हो, उल्लेख किया जाए।

शेयरधारकों की सूची

विनियम 64

(i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियम (i) के अंतर्गत निदेशक के निर्वाचन के उद्देश्य हेतु रजिस्टर पर उन शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जाएगी जिनके द्वारा निदेशक का निर्वाचन किया जाना हो।

(ii) उक्त सूची में शेयरधारकों का नाम, उनके पंजीकृत पते, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और उनके नम्बर, जिसके साथ शेयर पंजीकृत होने की तिथि हो, और उस निर्वाचन के लिए बैठक की नियत तिथि को उन मतों की संख्या जिसके लिए वे पात्र हैं, शामिल होने चाहिए और उक्त सूची की प्रतियां, बैठक के लिए नियत तिथि से कम से कम तीन सप्ताह पहले, प्रधान कार्यालय में आवेदन करने पर, मंडल या प्रबन्ध समिति द्वारा नियत किए गए मूल्य पर खरीदने हेतु उपलब्ध होंगी।

चुनाव हेतु प्रत्याशियों का नामांकन

विनियम 65

(i) निदेशक के चुनाव हेतु प्रत्याशी का नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि:-

(क) उसके पास बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेयर न हों।

(ख) नामांकन की प्राप्ति के अन्तिम दिन व उक्त अधिनियम या उक्त योजना के अंतर्गत निदेशक के लिए अयोग्य घोषित न हो।

(ग) उसके द्वारा धारित बैंक के शेयरों के संबंध में,चाहे वह शेयर उसके पास अकेले या संयुक्त रूप से हों, उसने सभी मांगों का भुगतान, मांग के भुगतान हेतु नियत अन्तिम तिथि या उससे पहले कर दिया गया हो।

present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

(i) a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public Company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the Nationalized Bank has entered into or made, or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or

(ii) an officer or other employee of the Nationalized Bank, if he is a director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

IV. ORIENTAL BANK OF COMMERCE (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS, 1998

EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

Regulation 10

If any share stands in the names of two or more persons, the first named in the register shall as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Oriental Bank of Commerce Bank except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

DIRECTORS TO BE ELECTED AT GENERAL MEETING

Regulation 63

(i) A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government from amongst themselves in the general meeting of Oriental Bank of Commerce.

(ii) Where an election of a Director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

LIST OF SHAREHOLDERS

Regulation 64

(i) For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 55 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.

(ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION

Regulation 65

(i) No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless,

   a) he is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in Oriental Bank of Commerce

   b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme.

(घ) नामांकन लिखित में उक्त अधिनियम के अंतर्गत निदेशकों का निर्वाचन करने के लिए पात्र कम से कम एक सौ शेयरधारकों या उनके द्वारा विधिवत् बनाए गए एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हों, बशर्ते कि ऐसे शेयरधारक द्वारा, जो एक कम्पनी हो, नामांकन उक्त कम्पनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया जा सकता है और जहां ऐसा किया जाए वहां उस बैठक के, जिसमें यह पारित किया गया हो, अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित संकल्प की प्रति के रूप में ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के प्रधान कार्यालय को प्रेषित न की जाए और ऐसी प्रति को उस कम्पनी की ओर से नामांकन समझा जाए।

(ङ) उक्त नामांकन के साथ या उसमें निहित एक घोषणा न हो जिस पर प्रत्याशी द्वारा एक न्यायाधीश, जिलाधीश, आश्वासन रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए गए हों और यह कि वह नामांकन को स्वीकार करता है और चुनाव में खड़े होने का इच्छुक है और उसे एक निदेशक बनने के लिए उक्त अधिनियम या योजना या इन विनियमों के अंतर्गत अयोग्य घोशित नहीं किया गया।

(ii) कोई भी नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक यह ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्रधान कार्यालय में बैठक हेतु नियत तिथि से कम से कम चौदह दिन पहले हर प्रकार से पूरा करके संबंधित दस्तावेजों सहित प्राप्त नहीं हो जाता है।

नामांकनों की संवीक्षा

विनियम 66

(i) नामांकनों की प्राप्ति के लिए नियत तिथि के बाद पहले कार्यदिवस को नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाएगा तो उसका कारण दर्ज करने के बाद उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली किसी रिक्ति विशेष हेतु केवल एक ही नामांकन वैध हो, तो ऐसे नामांकित व्यक्ति को तत्काल निर्वाचित हुआ समझा जाएगा और उसका नाम एवं पता इस प्रकार निर्वाचित के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में उक्त प्रयोजन हेतु बुलाई गई बैठक में कोई निर्वाचन नहीं होगा और यदि उक्त बैठक केवल उक्त निर्वाचन के उद्देश्य से बुलाई गई है तो उसे निरस्त समझा जाएगा।

(ii) निर्वाचन होने की स्थिति में, यदि वैध नामांकन निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों से अधिक हों, तो बहुमत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को चुना गया माना जाएगा।

(iii) मौजूदा रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचित निदेशक को उस तिथि से कार्यभार ग्रहण किया गया माना जाएगा जिस तिथि को वह निर्वाचित किया या निर्वाचित किया गया माना गया हो।

निर्वाचन विवाद

विनियम 67

(i) यदि निदेशक के रूप में निर्वाचित किए माने जाने वाले अथवा निर्वाचित घोषित व्यक्ति की योग्यता या अयोग्यता अथवा चुनाव की वैधता के बारे में कोई संदेह या विवाद होता है तो कोई भी इच्छुक व्यक्ति, जो ऐसे निर्वाचन में मतदान करने का पात्र प्रत्याशी अथवा शेयरधारक हो, ऐसे निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख के 7 दिन के भीतर, इसकी सूचना लिखित रूप में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को दे सकता है और ऐसी सूचना में वह उन कारणों के पूरे विवरण देगा जिनके आधार पर उसे चुनाव की वैधता पर संदेह अथवा विवाद है।

(ii) उप विनियम (i) के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने पर, अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक या उसकी अनुपस्थिति में बैंक का कार्यकारी निदेशक, तुरन्त ऐसे संदेह या विवाद को, ऐसी समिति के, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यकारी निदेशक और उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ख) एवं (ग) के अधीन नामित कोई दो निदेशक शामिल हों, निर्णय के लिए भेजेंगे।

(iii) समिति उप विनियम (ii) में उल्लिखित ऐसी जांच करेगी, जिसे यह आवश्यक समझेगी और यदि यह उक्त निर्वाचन को वैध पाएगी तो निर्वाचन के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी या यदि वह निर्वाचन को वैध नहीं पाएगी तो जांच शुरू होने के 30 दिन के अंदर, जैसा इन परिस्थितियों में समिति उपयुक्त समझेगी, ऐसा आदेश और निर्देश, जिसमें नए निर्वाचन करने के निर्देश सम्मिलित हों, दे सकती है।

(iv) इस विनियम के अनुसरण में ऐसी समिति का आदेश और निर्देश अन्तिम होगा।

c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;

d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of Oriental Bank of Commerce and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;

e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.

(ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head office of the Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

SCRUTINY OF NOMINATIONS

Regulation 66

(i) Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for receipt of nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason thereof. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.

(ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.

(iii) A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is or is deemed to be elected.

ELECTION DISPUTES

Regulation 67

(i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of Oriental Bank of Commerce and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.

(ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

(iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared results of the election, or if it finds that the election was not a valid election, it shall, within thirty days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

(iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

शेयरधारकों को मत देने के अधिकार

मत देने के अधिकारों का निर्धारण

विनियम 68

(i) उक्त अधिनियम की धारा 3(2 ई) में निहित प्रावधानों के अध्यधीन, प्रत्येक शेयरधारक, जो आम बैठक की तिथि से पहले रजिस्टर बंद होने की तारीख को एक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हो, ऐसी बैठक में हाथ खड़े करके एक मत देगा और मतदान के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु एक मत देने का अधिकार होगा।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 3(2 ई) में निहित प्रावधानों के अध्यधीन, प्रत्येक शेयरधारक, कम्पनी न होने के कारण, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर या प्रॉक्सी द्वारा उपरोक्तानुसार मत देने के लिए पात्र है या कम्पनी होने पर उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी उपस्थित हो तो उसे हाथ उठाकर एक मत देने का अधिकार होगा और निर्वाचन के मामले में उप विनियम (i) में उपरोक्तानुसार उल्लिखित उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए उसका एक मत होगा।

व्याख्या - इस अध्याय हेतु "कम्पनी" का अर्थ है :कोई निगमित निकाय।

(iii) आम बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र बैंक के शेयरधारक किसी व्यक्ति को अपनी प्रॉक्सी के रूप में (चाहे वह शेयरधारक हो या न हो) अपने स्थान पर उसमें भाग लेने और मत देने के लिए नियुक्त कर सकता है परन्तु ऐसे नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

विनियम 69

(i) एक शेयरधारक, केन्द्र सरकार या कम्पनी होने पर, अपने किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को, जैसा भी मामला हो, संकल्प द्वारा, शेयरधारकों की किसी आम बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति (जिसे इन विनियमों में "विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि" कहा गया है) केन्द्र सरकार या कम्पनी की ओर से, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, उन सभी अधिकारों का प्रयोग करने का पात्र होगा, मानो वह बैंक का एक व्यक्तिगत शेयरधारक हो। इस प्रकार दिया गया प्राधिकार, वैकल्पिक रूप से, दो व्यक्तियों के पक्ष में दिया जा सकता है और इनमें से कोई एक व्यक्ति केन्द्र सरकार/कम्पनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।

(ii) कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी बैठक में एक कम्पनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भाग नहीं लेगा या मतदान नहीं करेगा, जब तक उसको विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए जाने वाले संकल्प की एक सत्य प्रति उस बैठक के, जिसमें उसे पास किया गया हो, अध्यक्ष द्वारा विधिवत सत्यापित प्रति बैठक के लिए नियत तिथि से कम से कम चार दिन पहले बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रेषित न कर दी गई हो।

भारतीय रिजर्व बैंक का सक्षम एवं उचित मार्गनिर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 9 की उप धारा (3एए) तथा (3एबी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना सं0 डीबीओडी बीसी नं. 46 व 47/29.39.001/2007–08 दिनांक 1 नवंबर, 2007 जारी की है, जिसमें बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 9 (3) (i) के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निदेशक के रूप में निर्वाचित किये जा रहे व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले ''उपयुक्त और उचित'' मानदंड निर्धारित किए हैं।

मार्गनिर्देशों की मुख्य बातें

"उपयुक्त और उचित" मानदंड आदि के निर्धारण के लिए प्राधिकारी, पद्धति/कार्यविधि व मानदंड निम्नानुसार हैं:

- **प्राधिकारी**

  सभी राष्ट्रीयकृत बैंक एक "नामन समिति" का गठन करें जिसमें निदेशक बोर्ड में से कम-से-कम तीन निदेशक (सभी स्वतंत्र निदेशक/गैर-कार्यपारक निदेशक) रखे जाएं। निदेशक बोर्ड अपने में से किसी एक निदेशक को नामन समिति के अध्यक्ष के रूप में भी नामित करे। कोरम अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों का होगा। पहले से नामित किसी सदस्य की अनुपस्थिति में आगामी बैठक के लिए उसके स्थान पर किसी अन्य स्वतंत्र निदेशक को निदेशक बोर्ड द्वारा नामित किया जाए। नामन समिति का गठन करते समय उसके कार्यकाल का निर्णय बोर्ड कर सकता है।

VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

DETERMINATION OF VOTING RIGHTS

Regulation 68

(i) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of the closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

(ii) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a Company, is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i)

Explanation – for this chapter, "Company" means any body corporate.

(iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

VOTING BY DULY AUTHORIZED REPRESENTATIVE

Regulation 69

(i) A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officers or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a "duly authorized representative" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government/Company.

(ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorized representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

RBI'S FIT AND PROPER CRITERIA GUIDELINES

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) and (3AB) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has issued notification DBOD BC No.46 & 47/29.39.001/2007-08 dated November 01,2007 laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & transfer of undertakings) Act 1970/1980.

SALIENT FEATURES OF THE GUIDELINES

The Authority, Manner/Procedure and Criteria for deciding the "Fit and Proper "status etc., are as under:

- **Authority:**

  All the nationalized banks are required to constitute a "nomination committee" consisting of a minimum of three directors (all independent/non-executive directors) from amongst the Board of Directors. The Board of Directors should also nominate one among them as Chairman of the nomination committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case of absence of any member already nominated, the board of directors may nominate any other independent director in his place for the ensuing meeting. At the time of constituting the nomination committee the board can decide on its tenure.

- **पद्धति और क्रियाविधि:**

  उक्त अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में निर्वाचित किये जानेवाले विद्यमान निर्वाचित निदेशक/व्यक्ति के ''उपयुक्त तथा उचित'' स्तर का निर्धारण करते समय नामन समिति को समुचित सावधानी की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए संलग्न फॉर्मेट में ऐसे विद्यमान निर्वाचित निदेशकों/व्यक्तियों से आवश्यक सूचना और घोषणा बैंकों द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए जो निर्वाचन के लिए अपना नामन प्रस्तुत करते हैं। यदि उम्मीदवारों का निर्वाचन किया जाना हो तो नामन समिति को नामन स्वीकार करने की अंतिम तारीख से पहले बैठक करनी चाहिए और यह निर्णय लेना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति की उम्मीदवारी नीचे दिये गये मानदंडों के अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य है अथवा नहीं। इस समिति की बैठकों में हुई चर्चा को औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में उचित रूप से रिकार्ड किया जाना चाहिए और यदि कोई मत विभाजन हुआ हो तो विद्यमान और प्रस्तावित दोनों निदेशकों के मामले में उसे भी नोट किया जाना चाहिए। हस्ताक्षरयुक्त घोषणा में उपलब्ध करायी गयी जानकारी के आधार पर नामन समिति को यह निर्णय लेना चाहिए कि उम्मीदवारी स्वीकार की जाए अथवा नहीं और जहां कहीं आवश्यक हो वहां उपयुक्त प्राधिकारी/व्यक्ति/संस्था आदि से यह सुनिश्चित करने के लिए संपर्क किया जाए कि निर्दिष्ट अपेक्षाओं का पालन किया गया है।

- **मानदंड**

  नामन समिति को यहां नीचे दिये गये मानदंडों के आधार पर विद्यमान निर्वाचित निदेशकों/प्रस्तावित उम्मीदवारों के "उपयुक्त तथा उचित" स्तर का निर्धारण करना चाहिए:

  i. शैक्षणिक अर्हता
  ii. अनुभव तथा विशेषज्ञता का क्षेत्र
  iii. पिछला रिकार्ड और ईमानदारी

  (उपर्युक्त सूची उदाहरण स्वरूप है, व्यापक नहीं) नामन समिति को यह देखना चाहिए कि उपर्युक्त मानदंडों में से किसी भी मानदंड का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में विद्यमान निर्वाचित निदेशक/प्रस्तावित उम्मीदवार के बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में कर्तव्य निर्वाह पर असर पड़ेगा अथवा नहीं। साथ ही, किसी प्राधिकारी/विनियामक एजेंसी को उम्मीदवार के संबंध में मिली प्रतिकूल जानकारी अथवा दिवालियापन अथवा किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था के ऋण की चुकौती में चूक उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में काम करने के लिए अनुपयुक्त बना देगी।

- **अन्य मामले**

  यह वांछनीय है कि जनहित में बोर्ड यह सुनिश्चित करे कि निर्वाचित निदेशक निर्वाचन के बाद तथा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को (भारतीय रिज़र्व बैंक के 20 जून, 2002 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 116/08.139.001/2001-02 द्वारा प्रेषित डॉ. गांगुली ग्रुप की सिफारिशों के अनुसार) प्रतिज्ञा विलेख निश्पादित करते हैं।

  यह भी अनिवार्य है कि सभी निर्वाचित निदेशक प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को यह साधारण घोषणा प्रस्तुत करें कि उन्होंने जो पहले सूचना दी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो निदेशकों द्वारा उससे संबंधित आवश्यक ब्यौरे तत्काल प्रस्तुत किये जाएं। यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हों तो नामन समिति को इस संबंध में समुचित सावधानी की प्रक्रिया अपनाते हुए निदेशक के ''उपयुक्त और उचित'' स्तर की दोबारा जांच करनी चाहिए।

अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के चयन के लिए दिशा-निर्देश

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों आदि के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के नामांकन के लिए निम्नलिखित मानदंडों को अपनाया जा सकता है।

सामान्य

- प्रासंगिक अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नामांकन किया जाएगा।
- नामितियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन के संबंध में उसकी औपचारिक योग्यता तथा विशेषज्ञता, पिछला रिकार्ड, निश्ठा, इत्यादि देखा जाएगा। निष्ठा और उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए आपराधिक रिकॉर्ड की सूचना, वित्तीय स्थिति, निजी कर्जो को चुकाने के लिए की गई सिविल कार्रवाई, व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश के लिए मनाही या निष्कासन, विनियामकों तथा अन्य इसी प्रकार के निकायों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध एवं पिछली संदिग्ध व्यापारिक प्रक्रियाओं इत्यादि पर भरोसा किया जाएगा।

- **Manner and procedure:**

  The nomination committee should undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing elected directors/the person to be elected as a director under Sec 9 (3)(i) of the Act ibid. For this purpose, the banks should obtain necessary information and declaration, in the format enclosed (Annexure-1), from the existing elected directors/persons, who file their nominations for election. The nomination committee should meet before the last date of acceptance of nominations in case of candidate to be elected and decide whether or not the person's candidature should be accepted based on the criteria mentioned below. The committee's discussions should be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting if done should also be noted in case of both existing and proposed Directors. Based on the information provided in the signed declaration, Nomination Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and may make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

- **Criteria**

  The nomination committee should determine the 'fit and proper' status of the existing elected directors/proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

  (i) Educational qualification

  (ii) Experience and field of expertise

  (iii) Track record and integrity

  (The above list is only illustrative and not exhaustive) The Nomination Committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of a bank

- **Other matters**

  It is desirable that ensured, in the public interest, that the elected directors execute the deed of covenants (as recommended by the Dr.Ganguly Group vide RBI circular DBOD.No.BC.116/08.139.001/2001-02 dated 20th June 2002 and also every year as on 31st March.

  It is also mandatory that all the elected directors must furnish a simple declaration every year as on 31st March that the information already provided by them has not undergone any change and where there is any change, requisite details are furnished by the directors forthwith. If there are any significant changes, the nomination committee should undertake the due diligence exercise afresh and examine the 'fit and proper' status of the director.

GUIDELINES FOR SELECTION OF PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR

The following criteria may be adopted for nomination of part-time non-official directors (NOD) on the boards of public sector banks/financial institutions etc.

GENERAL

- Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.
- The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualification and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.

- सामान्य तौर पर, विशेष अकादमिक प्रशिक्षण अथवा कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहयोग, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, विधि, विपणन, उद्योग तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा।
- जहां तक संभव होगा महिला तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंद्ध व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

शिक्षा

- गैर-सरकारी निदेशक कम-से-कम स्नातक होना चाहिए।
- किसानों, जमाकर्ताओं और कारीगरों के शैक्षिक योग्यताओं के मामले में एसीसी की मंजूरी के साथ छूट दी जा सकती है।

उम्र

- निदेशक की उम्र, नियुक्ति मंडल द्वारा की गई अनुशंसा की तिथि को, 35 वर्ष और 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आगे कोई छूट वांछनीय नहीं है। तथापि, ऊपरी आयु सीमा में छूट की मंजूरी केवल एसीसी की मंजूरी के साथ तथा मंत्रालय द्वारा कारणों का अभिलेखन करने के बाद दी जा सकती है। (इस चुनाव के मामले में मंडल की नामांकन समिति अपने विवेक से आयु सीमा में छूट देने के लिए समर्थ है।)

कार्य अनुभव

- सामान्यतया पेशेवरों/अकादमिकों के पास विशेष क्षेत्र में काम करने का अनुभव 10 वर्ष होना चाहिए।

अयोग्यता

- यदि वह किसी बैंक या वित्तीय संस्थान, के अंतर्गत किसी भी वर्ग में निदेशक के पद पर है तो किसी भी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान के गैर सरकारी निदेशक के रूप में उसके नामांकन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे पर देने तथा अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति, सांसदों, विधायकों, विधान परिषदों के सदस्य तथा स्टॉक दलालों को बैंकों/वित्तीय संस्थानों के मंडल में गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- ऐसा कोई भी व्यक्ति बैंक/वित्तीय संस्थान के मंडल में गैर सरकारी निदेशक के रूप में दुबारा नियुक्त नहीं किया जाएगा (जिसने अतीत में किसी श्रेणी के अंतर्गत दो कार्य अवधि या छ: वर्ष जो भी अधिक हो, के लिए निदेशक के रूप में सेवा की है।
- गैर सरकारी निदेशक के रूप में ऐसे निदेशकों के नामांकन पर विचार नहीं किया जाएगा जो किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान के मंडल में निरंतर या बीच-बीच में पहले ही, छह वर्ष के लिए, गैर सरकारी निदेशक/शेयरधारक-निदेशक रहे हों। [गैर सरकारी निदेशकों के लिए छह वर्ष के दो अवधि के सामान्य नियम को सनदी लेखाकार श्रेणी के अंतर्गत नियुक्त निदेशकों पर भी लागू किया जाएगा।]

व्यावसायिक प्रतिबंध

- बैंक/वित्तीय संस्थान के निदेशक के रूप में अपना पद छोड़ने के बाद गैर सरकारी निदेशक दो वर्ष के लिए बैंक/वित्तीय संस्थान से किसी भी कार्य को ना ही स्वीकार करेंगे/ना ही उन्हें आबंटित किया जाएगा।
- किसी भी बैंक में गैर सरकारी निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, निदेशक सार्वजनिक क्षेत्र के उस बैंक में किसी भी प्रकार के पेशेवर कार्य (सांविधिक लेखा परीक्षा, संगामी लेखा परीक्षा, कानूनी सलाहकार अथवा अधिवक्ता के रूप में सूचीबद्ध इत्यादि) को संपादित नहीं करेंगे।
- भारतीय स्टेट बैंक के मामले में, यह प्रतिबंध उसके सहयोगी बैंकों पर भी उसी प्रकार से लागू होगा।
- तथापि, दूसरे अन्य बैंक/बीमा कंपनी के संबंध में, कार्य करने की अनुमति दी सकती है, बशर्ते गैर सरकारी निदेशक कंपनी के ऐसे कामों से अपने को अलग कर लें, जिसमें उसके हितों के टकराव की संभावना हो।
- यदि ऐसा व्यक्ति, जिसका बैंक, सहकारी बैंक सहित, के साथ व्यावसायिक संबंध है,को बैंक के मंडल पर नामित किए जाने के लिए चुना जाता है, तो ऐसी नियुक्ति से पहले, उसे बैंक के साथ अपने सारे संबंध तोड़ने होंगे।
- ऐसे पेशेवरों का नामांकन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मंडल के लिए नहीं किया जाएगा, जिसके साथ नामांकन से पूर्व 03 वर्षों के दौरान उसका व्यापार संबंध रहा हो।

- Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, law, marketing, industry and IT will ordinarily be considered.
- As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST community.

EDUCATION

- An NOD should at least be a graduate
- Educational qualifications may be relaxed with the approval of ACC in case of farmers, depositors and artisans.

AGE

- The age of the Director, on the date of recommendation by Appointments Board, should be between 35 years and 65 years. No further relaxation is desirable. However, the upper age limit may be relaxed only with the approval of the ACC and for reasons to be recorded by the Ministry. (In the case of this Election the Nomination Committee of the Board is empowered to relax the age limit at their discretion)

WORK EXPERIENCE

- Professionals/academicians should ordinarily have 10 years of work experience in the particular field.

DISQUALIFICATION

- A director already on a Bank/FI, under any category, may not be considered for nomination as NOD on any other Bank/FI.
- Persons connected with hire purchase, financing, investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/FIs.
- No person may be re- nominated as a NOD on the Board of a Bank/FI on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.
- An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI if such Director has already been a NOD/shareholder-Director on the board of any other Bank/FI for six years, whether continuously or intermittently. [The general rule of two terms for six years for Non-Official Directors should apply to the Directors appointed under CA Category also].

PROFESSIONAL RESTRICTION

- NOD will not accept/will not be allotted any work of the Bank/FI for two years after demitting office as Director of that Bank/FI.
- During his term as NOD on any Bank, such Director will not undertake any professional work (statutory audit, concurrent audit, legal retainer ship or empanelment as a lawyer etc.) in that Public Sector Bank. In the case of SBI, such restrictions will cover Associate Banks as well. However, in respect of any other bank/insurance company, the firm should be allowed to be engaged, provided the non official director recluses himself/herself from handling that part of the business of the firm, where there may be a conflict of interest.
- If a person having professional relationship with bank, including cooperative bank, is selected for being nominated on the board of any bank, he will have to sever his connection with the bank before such appointment.
- Professionals shall not be nominated on the Board of a PSB with which they have had a business relationship during the last 3 years before such nomination.

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

कार्पोरेट कार्यालय : प्लॉट सं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुड़गांव-122001

नामांकन फार्म

सेवा में
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
कॉरपोरेट कार्यालय,
गुड़गांव

प्रिय महोदय,

निदेशकों का चुनाव

आपकी दिनांक .... की सूचना के संदर्भ में, मैं श्री/श्रीमती .... ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स का शेयरधारक, बृहस्पतिवार 14 अगस्त, 2014 अर्थात् चुनाव में भाग लेने हेतु विनिर्दिष्ट तारीख को 10/- रु. प्रत्येक के .... इक्विटी शेयरों का धारक, एतद्द्वारा श्री/श्रीमती .... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी .... श्री/श्रीमती .... निवासी .... को 16 सितंबर, 2014 को होने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(i) के प्रावधान के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने हेतु ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए नामांकित करता हूं।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नम्बर (यदि डिमैट नहीं है)	
डीपीआईडी नं./ग्राहक आईडी नं. (यदि डिमैट है)	
स्थान	
दिनांक	

टिप्पणियां

(i) निगमित निकाय, द्वारा नामांकन किए जाने की स्थिति में, नामांकन प्रपत्र के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प जिस पर उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हों, जिसमें इसे पारित किया गया, की सत्यापित सत्यप्रति संलग्न की जाए।

(ii) प्रत्याशी को नामांकित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षरों से मिलते हों।

(iii) यदि उपरोक्त किसी भी कॉलम को खाली छोड़ दिया है या विवरण सही नहीं पाए जाते हैं तो नामांकन रद्द किया जा सकता है।

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi-110001
Corporate Office: Plot No. 5, Sector-32, Institutional Area,Gurgaon-122001

NOMINATION FORM

To

The Chairman & Managing Director,
Oriental Bank of Commerce
Corporate Office,
GURGAON

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTORS

With reference to your Notice dated.................................., I, ... a shareholder of Oriental Bank of Commerce holding .... equity shares of Rs. 10/- each as on Thursday, August 14, 2014 i.e., the Specified date for participating in the Election, do hereby nominate

Shri/Smt. .... son/daughter/wife of .... residing at .... for being elected as a Director of Oriental Bank of Commerce representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on September 16, 2014

Name	
Signature	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (If dematerialized)	
Place	
Date	

NOTES:

(i) In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.

(ii) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.

(iii) If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्ष भवन, ई–ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001
कारॅपोरेट कार्यालय : प्लॉट सं. 5, सेक्टर–32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुड़गांव–122001

घोषणा

मैं, श्री/श्रीमती .... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती ....
निवासी .... एतद्द्वारा पुष्टि करता (ती) हूं कि:–

(क) मेरे पास चुनाव में भाग लेने हेतु विनिर्दिष्ट तिथि अर्थात् 14 अगस्त, 2014 की स्थिति के अनुसार बैंक के .... ईक्विटी शेयर हैं और

(ख) मुझे निम्नलिखित का विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव है * (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त, (vi) विधि, (vii)लघु उद्योग अथवा .... (जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा) और मैं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा–3ए के अनुसार जमाकर्ताओं या कृषकों, कर्मकारों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता(ती) हूँ और इसके प्रमाणस्वरूप मैं यहां संबंधित लिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता(ती) हूं और

(ग) मैं क्रम संख्या .... का नामांकन स्वीकार करता(ती) हूं, तथा

(घ) मैं ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के निदेशक के चुनाव में खड़े होने का (की) इच्छुक हूं, तथा

(ङ) मैं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980, राष्ट्रीयकृत बैंक [प्रबंधन एवं विविध प्रावधान] योजना, 1980, और ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 तथा भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के प्रावधानों के तहत बैंक का निदेशक बनने के अयोग्य नहीं हूं, तथा

(च) मैं कोई लाभ का पद धारित नहीं करता(ती) हूं और न ही किसी राष्ट्रीयकृत अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक का(की) कर्मचारी हूं तथा

(छ) मुझे किसी आर्थिक अधिकारी अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है, तथा

(ज) मैं किसी अन्य सरकारी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान में निदेशक नहीं हूं, तथा

(झ) मैं पहले इस बैंक के मंडल में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत दो कार्यकाल अथवा छ: वर्ष, जो भी अधिक हो, के लिए निदेशक नहीं रहा/रही हूं, तथा

(ञ) मैं किसी सरकारी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान के मंडल में किसी भी श्रेणी (सीए श्रेणी सहित) के अंतर्गत छ: वर्ष की अवधि के लिए निरंतर या बीच –बीच में निदेशक नहीं रहा/रही हूं तथा

(ट) मैं चुने जाने पर बैंक के साथ अपने व्यावसायिक संबंध, यदि कोई हों, तत्काल समाप्त कर दूंगा/दूंगी और निदेशक के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान तथा उसके बाद दो वर्ष की अवधि के लिए बैक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध न रखने का वचन देता/देती हूं, तथा

(ठ) मैं स्टॉक एक्सचेंज के साथ 'स्वतंत्र निदेशक' के संबंध में हुए सूचीकरण करार के खण्ड 49 तथा तत्पश्चात् होने वाले संशोधन के प्रावधानों का अनुपालन करने की पुष्टि करता/करती हूं तथा चुने जाने पर निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इन प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता/देती हूं, तथा

(ड) मैं इस घोषणा के बाद होने वाले परिवर्तन से, जो अब तक दी गई सूचना से संबंधित हो और बैंक में निदेशक के पद पर मेरे चयन हेतु प्रसंविदा विलेख के निष्पादन के लिए अपेक्षित हो, यथा संभव शीघ्र बैंक को अवगत करवाने का वचन देता/देती हूं।

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi-110001
Corporate Office: Plot No. 5, Sector-32, Institutional Area,Gurgaon-122001

DECLARATION

I, ... son/daughter/wife of Shri/Smt. .... resident of .... hereby confirm that :

a. I am a shareholder holding .... equity shares of the Bank on 14th day of August 2014 i.e., the specified date for participating in the elections, and

b. *I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law,(vii) small scale industry, or .... (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and

c. I accept the nominations numbering …………………….and

d. I am willing to contest for the election of Directors of Oriental Bank of Commerce, and

e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, Oriental Bank of Commerce (Shares & Meetings) Regulations, 1998 and Notifications issued by RBI, and

f. I neither hold any office of profit nor am I an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, and

g. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court, and

h. I am not a Director in any other Public Sector Bank or Financial Institution; and

i. I have not been a Director on the Board of this Bank, in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer; and

j. I have not been a Director of any Public Sector Bank or Financial Institution under any category (including CA Category) for a period of six years, whether continuously or intermittently, and

k. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and

l. I affirm compliance with the provisions of Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges with regard to “Independent Director” as and when amended and undertake to comply with these provisions during my tenure as Director on being elected and,

m. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

(ढ) मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा/रही हूं जो मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है

नाम	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नम्बर (यदि डिमैट नहीं है)	
डीपीआईडी नं./ग्राहक आईडी नं. (यदि डिमैट है)	
स्थान	
दिनांक	

उद्घोषक के हस्ताक्षर

उपर्युक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए।

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, आश्वासन संबंधी रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक या ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर

***जो लागू न हो उसे काट दें।**

n. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects,

Name	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (If dematerialized)	
Place	
Date	

Signature of Declarant

The above declaration was signed before me.

Signature with seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Oriental Bank of Commerce or any Nationalized Bank.

***Delete whichever is not applicable.**

व्यक्तिगत सूचना, घोषणा तथा वचनपत्र

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स

यहां पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाएं

प्रत्याशी द्वारा संलग्नकों सहित घोषणा एवं वचन पत्र .... 2014 की स्थिति के अनुसार

1.		प्रत्याशी का व्यक्तिगत विवरण	
	क	पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) पिता का नाम (पूरा)	
	ख	जन्मतिथि	
	ग	शैक्षिक योग्यता	
		(शैक्षणिक/शैक्षणिक) (कृपया सूचना के समर्थन में प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)	
		(शैक्षणिक/शैक्षणिक) (कृपया सूचना के समर्थन में प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)	
	घ	संबंधित पृष्ठभूमि तथा अनुभव (जैसाकि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3-ए) के अंतर्गत अपेक्षित है। (कृपया बैंक के निदेशक के पद से संबंधित अपने अनुभव का उल्लेख करें)।	
	ड़	स्थायी पता	
	च	वर्तमान पता	
	छ	ई-मेल पता	
		टेलीफोन संख्या (लैंडलाइन)	
		टेलीफोन संख्या (मोबाइल)	
	ज	(1) आयकर अधिनियम अंतरगत स्थायी खाता संख्या (कृपया प्रति संलग्न करें)।	
		(2) आयकर सर्कल/डिविजन का नाम व पता, जहां व्यक्तिगत आयकर रिटर्न जमा कराई जा रही है	
	झ	संबंधित ज्ञान एवं अनुभव (बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3 ए) का संदर्भ लें)	
	ञ	बैंक के निदेशक पद से संबंधित कोई अन्य जानकारी	
II		प्रत्याशी के संगत संबंधों का विवरण	
	क	बैंक से संबद्ध रिश्तेदारों की सूची, यदि कोई हो, (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) के साथ पठित कम्पनी नियम, 2014 का नियम 4 देखें (परिभाषाओं का विनिर्देश विवरण) [कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 और अनुसूची I-क]	
	ख	ऐसी संस्थाओं की सूची, यदि कोई है, जिनमें उसे हितबद्ध समझा जाता है (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (49) व धारा 184 देखें [कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 299 (3) (क) और धारा 300]	
	ग	ऐसी संस्थाओं की सूची, प्रस्तावित और वर्तमान जिनमें प्रत्याशी को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई) के अर्थ के दायरे में महत्वपूर्ण हित धारित करने वाला समझा जाता है।	

PERSONAL INFORMATION, DECLARATION AND UNDERTAKING

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Affix passport size photo here

Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on _________ 2014

I		Personal details of Candidate	
	a	Full Name (in block capital letters)Father's Name (in Full)	
	b	Date of Birth	
	c	Educational Qualifications	
		(Educational/academic)(Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
		(Educational/professional)(Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
	d	Relevant Background and Experience(As required under Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & transfer of Undertakings) Act, 1980.(Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank).	
	e	Permanent Address	
	f	Present Address	
	g	E-mail Address	
		Telephone Number (Landline)	
		Telephone Number (Mobile)	
	h	Permanent Account Number under the Income Tax Act (Please enclose a copy)Name and Address of the Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed.	
	i	Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act,1980	
	j	Any other information relevant to Directorship of the Bank	
II		Relevant Relationships of Candidate	
	a	List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 2(77) of Companies Act, 2013 read with Rule 4 of Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014 [Section 6 and Sch 1A of Companies Act 1956]	
	b	List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 2 (49) and Section 184 of the Companies Act, 2013) [Section 299(3)(a) and Section 300 of the Companies Act, 1956]	
	c	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	

	घ	बैंक का नाम जिसके बोर्ड का/की वह सदस्य है अथवा रहा/रही हो (इस पद को धारित करने की अवधि का विवरण)	
	ङ	उसके द्वारा और/या उपरोक्तनुसार II (ख) और (ग) पर सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा इस समय बैंक से ली जा रही निधि एवं गैर-निधि सुविधाएं	
	च	ऐसे मामले, जहां उपरोक्त II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध निदेशक अथवा संस्थाएं, जो बैंक अथवा अन्य किसी बैंक से ली गई ऋण सुविधाओं के संबंध में चूककर्ता हो या चूककर्ता रही हों।	
III		व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकार्ड	
	क	संगत व्यावसायिक उपलब्धियां	
IV		प्रत्याशी के खिलाफ कार्यवाही, यदि कोई हो	
	क	यदि प्रत्याशी व्यावसायिक संस्था/निकाय का सदस्य है तो अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण दें, यदि कोई अनिर्णीत हो या आरंभ की जा चुकी हो अथवा विगत में उसे दोषी ठहराया गया हो अथवा उसे किसी भी समय कोई व्यवसाय/कारोबार शुरू करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया हो।	
	ख	प्रत्याशी और/अथवा उपर्युक्त II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध किसी इकाई के खिलाफ आर्थिक नियमों और विनियमों के उल्लंघन के लिए विगत में लम्बित अथवा शुरू किए गए अथवा दोष सिद्ध हुए अभियोजन, यदि कोई हो, का विवरण	
	ग	प्रत्याशी के खिलाफ विगत में लम्बित अथवा शुरू किए गए अथवा दोष सिद्ध आपराधिक अभियोजन, यदि कोई हों, के विवरण	
	घ	क्या प्रत्याशी को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 [कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274] के तहत किसी अयोग्यता के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है?	
	ङ	क्या प्रत्याशी अथवा उपर्युक्त II (ख) और (ग) में दी गई किसी इकाई की सरकारी विभाग अथवा एजेंसी के निर्देश पर कोई जांच की गई है।	
	च	क्या प्रत्याशी को कभी सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आयकर/विदेशी मुद्रा विनिमय/अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/ कानूनी अपेक्षाओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है? यदि हां, तो विवरण दें।	
	छ	क्या किसी नियामक संस्था जैसे सेबी, इरडा, डीसीए, आरबीआई, फेमा, एमसीए, सिबिल आदि द्वारा प्रत्याशी के खिलाफ कभी कुछ प्रतिकूल पाया गया है (यद्यपि प्रत्याशी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि इस कॉलम में नियामक संस्था द्वारा दिए गए उन आदेशों तथा निष्कर्षो का उल्लेख किया जाए जिन्हें बाद में पूर्णत: प्रत्यावर्तित/रद्द किया गया किंतु यदि यह प्रत्यावर्तन/निरस्तीकरण परिसीमा अथवा क्षेत्राधिकार न होने जैसे तकनीकी कारणों से हुआ हो, योग्यता के कारण नहीं तो इसका उल्लेख अवश्य किया जाए। यदि नियामक के आदेश पर अस्थायी रोक लगी हो और अपीलीय प्राधिकरण/न्यायालय की कार्रवाई बकाया हों तो इसका भी उल्लेख किया जाए।)	
V		मदसंख्या I से III के संबंध में, कोई अन्य स्पष्टीकरण/सूचना और अन्य कोई जानकारी जो, 'सक्षम एवं उपयुक्त' हैसियत का निर्णय लेने के लिए संगत हो।	

	d	Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held)	
	e	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (b) and (c) above from the Bank	
	f	Cases, if any, where the Candidate or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank.	
III		Records of professional achievements	
	a	Professional achievements relevant	
IV		Proceedings, if any, against the Candidate	
	a	If the candidate is a member of a professional association/ body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time.	
	b	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations	
	c	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate	
	d	Whether the Candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act 2013 [Section 274 of the Companies Act, 1956]	
	e	Has the Candidate or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
	f	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/legislative requirements by customs/ excise/income tax/foreign exchange/other revenue authorities, if so give particulars	
	g	Whether the Candidate at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA, RBI, FEMA, MCA CIBIL etc.(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed/set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc. and not on merit. If the order of regulator is temporarily stayed and the appellate/court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
V		Any other explanation/information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper	

वचन

मैं .... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री .... पुष्टि करता/करती हूं कि उक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण है। मैं वचन देता हूं कि मैं बैंक को अपनी नियुक्ति होने के बाद होने वाली ऊपर दी गई जानकारी से संबंधित सभी घटनाओं के बारे में यथाशीघ्र सूचित करूंगा/करूंगी देती मैं बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित की जाने वाली प्रसंविदा विलेख को भी निष्पादित करने का भी वचन देता/देती हूं।

स्थान :

दिनांक :

प्रत्याशी के हस्ताक्षर :

संलग्नक

टिप्पणी:

जहां भी स्थान पर्याप्त नहीं है, कृपया अनुलग्नक के अनुसार सूचना तिथिवार तथा उपयुक्त प्रति संदर्भ के साथ संलग्न करें। प्रत्येक पृष्ठ (अनुलग्नकों सहित) पर प्रत्याशी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।

नामांकन समिति की टिप्पणियां/अभिमत:

समिति सदस्य	समिति सदस्य	समिति सदस्य

स्थान :

दिनांक :

Undertaking

I .... Son/Daughter/Wife of Shri .... confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above. I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by all directors of the bank.

Place :

Date :

Signature of Candidate :

ENCLOSURES

Note:

Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.

Observations/Remarks of the Nomination Committee:

Committee Member	Committee Member	Committee Member

Place :

Date :

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्ष भवन, ई–ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001
कारॅपोरेट कार्यालय : प्लॉट सं. 5, सेक्टर–32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुड़गांव–122001

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाए)

पंजीकृत फोलियो सं		डीपीआईडी सं.	
		ग्राहक आईडी सं.	
(यदि शेयर डिमैट नहीं हो)		(यदि शेयर डिमैट हो)	

मैं/हम .... राज्य .... जिले ....
का/के निवासी, **ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स** का/के शेयरधारक होने के नाते, मंगलवार, 16 सितम्बर, 2014 को प्रातः 10.00 बजे, पीएचडी चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एन्ड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110016 में होने वाली बैंक के शेयरधारकों की **असाधारण आम बैठक** में और इसके किसी स्थगन पर मेरी/हमारी और मेरे/हमारे लिए मतदान करने हेतु मेरी/हमारी/प्रॉक्सी के रूप में श्री/श्रीमती .... निवासी ....
.... जिला .... राज्य .... को और उनके ऐसा न करने पर श्री/श्रीमती.
.... निवासी ....
जिला.. राज्य .... को एतद्‌द्वारा नियुक्त करता हूं/करते हैं।

दिनांक ...., 2014 को हस्ताक्षरित

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम धारक/एकल धारक के हस्ताक्षर

कृपया
रेवेन्यू स्टाम्प
लगाएं

नाम ....

पता ....

....

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi-110001
Corporate Office: Plot No. 5, Sector-32, Institutional Area,Gurgaon-122001

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholders)

Regd. Folio No.		DP ID	
		Client ID	
(If shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	

I/We .... resident/s of .... in the district of .... in the state of .... being a shareholder/shareholders of Oriental Bank of Commerce, hereby appoint Shri/Smt .... resident of.. in the district of .... in the state of .... or failing him/her, Shri/Smt. .... resident of .... in the district of ....in the state of .... as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the **Extraordinary General Meeting** of the Shareholders of the **ORIENTAL BANK OF COMMERCE** to be held on Tuesday, the September 16, 2014 at 10 a.m. at PHD Chamber of Commerce and Industry, 4/2, Siri Institutional Area, PHD House, August Kranti Marg, New Delhi-110016 and at any adjournment thereof.

Signed this .... day of 2014

Signature of Proxy

Signature of first named/Sole shareholder

Please affix Revenue Stamp

Name : ....

Address : ....

....

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश

1. प्रॉक्सी प्रपत्र तभी वैध होगा, जब

   क) वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

   ख) संयुक्त धारकों के मामले में सदस्य रजिस्टर में पहले नाम के शेयरधारक द्वारा या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

   ग) निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसकी कॉमन सील, यदि हो, के तहत निष्पादित किया जाएगा अथवा लिखित में विधिवत् प्राधिकृत इसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, तथा प्रपत्र ख में होगा तथा विधिवत् मुहरयुक्त होगा।

2 प्रॉक्सी प्रपत्र, जिस पर शेयरधारक के अंगूठे का निशान लगा हो, वैध होगा बशर्ते कि उसे न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, आश्वासन रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य किसी सरकारी राजपत्रित अधिकारी या ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स या राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो।

3 प्रॉक्सी के साथ

   क) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि हो) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए हों अथवा

   ख) उस मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार की प्रति, जिसे नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया गया हो, असाधारण आम बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले बृहस्पतिवार, 11 सितम्बर, 2014 को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् सायं 5.00 बजे अथवा इससे पहले ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के प्रधान कार्यालय या कॉरपोरेट कार्यालय में जमा करवाया जाए।

4 यदि संबंधित मुख्तारनामा ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स में या इसके शेयर हस्तांतरण एजेन्ट के पास पहले से पंजीकृत है तो मुख्तारनामे में पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तिथि का उल्लेख किया जाए।

5 बैंक के पास जमा प्रॉक्सी प्रपत्र अविकल्पी और अंतिम होगा।

6 यदि प्रॉक्सी प्रपत्र वैकल्पिक रूप से दो लोगों के पक्ष में मंजूर किया गया हो तो एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।

7 जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी प्रपत्र को निष्पादित किया है, वह उस बैठक में, जिससे ये प्रपत्र संबंधित है, उपस्थित होकर मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

8 कोई व्यक्ति ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के किसी अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी नियुक्त नहीं कर सकता है।

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. The instrument of proxy to be valid,

   a. in case of an individual shareholder, shall be signed him/her or by his/her attorney duly authorised in writing,

   b. in the case of joint holders, shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorised in writing,

   c. in the case of a body corporate, shall be signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing, and shall be in the Form B and duly stamped.

2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Oriental Bank of commerce or Nationalized Bank.

3. The proxy together with

   a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or

   b. a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office or Corporate Office of Oriental Bank of Commerce, not later than FOUR DAYS before the date of the Extra ordinary General Meeting, i.e. on or before closing hours i.e. 5.00 p.m. of Thursday, the 11th September, 2014.

4. In case the relevant power of attorney is already registered with Oriental Bank of Commerce or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.

5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.

6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

8. No person shall be appointed as duly authorised representative or proxy who is an officer or an employee of ORIENTAL BANK OF COMMERCE.

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

कारॅपोरेट कार्यालय : प्लॉट सं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुड़गांव-122001

उपस्थिति पर्ची

(इसे परिसर में प्रवेश के समय प्रस्तुत किया जाए)

दिनांक : 16 सितंबर, 2014
समय : प्रातः 10.00 बजे
स्थान : नई दिल्ली

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर डिमैट नहीं हैं)		(यदि शेयर डिमैट हैं)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक/प्रॉक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

मैं, पीएचडी चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, 4/2, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 में 16 सितंबर, 2014 को बैंक द्वारा आयोजित असाधारण आम बैठक में एतद्द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ।

शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

कारॅपोरेट कार्यालय : प्लॉट सं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुड़गांव-122001

प्रवेश-पत्र

(बैठक की कार्यवाही के दौरान अपने पास रखा जाए)

दिनांक : 16 सितंबर, 2014
समय : प्रातः 10.00 बजे
स्थान : नई दिल्ली

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर डिमैट नहीं हैं)		(यदि शेयर डिमैट हैं)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक/प्रॉक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे परिसर में प्रवेश करते समय प्रवेश पत्र के साथ उपरोक्त उपस्थिति पर्ची को विधिवत् हस्ताक्षर करते हुए प्रस्तुत करें जो बैंक में पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप हो। प्रवेश जांच एवं पूछताछ पर निर्भर है, जैसा भी आवश्यक समझा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में, बैठक हॉल में प्रवेश के लिए डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

कारॅपोरेट कार्यालय : प्लॉट सं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुड़गांव-122001

(इसे मतपत्र जारी करने हेतु मतदान काउंटर पर प्रस्तुत किया जाए)

दिनांक : 16 सितंबर, 2014
समय : प्रातः 10.00 बजे
स्थान : नई दिल्ली

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर डिमैट नहीं हैं)		(यदि शेयर डिमैट हैं)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक/प्रॉक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi-110001
Corporate Office: Plot No. 5, Sector-32, Institutional Area,Gurgaon-122001

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry to the Venue)

Date : September 16, 2014
Time : 10.00 a.m.
Place : New Delhi

Regd. Folio No.		DP ID Client ID	
(If shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder/Proxy/Representative present			

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank held on September 16, 2014 at PHD Chamber of Commerce and Industry, 4/2, Siri Institutional Area, PHD House, August Kranti Marg, New Delhi-110016.

Signatureof the Shareholder/Proxy/Authorised Representative	

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi-110001
Corporate Office: Plot No. 5, Sector-32, Institutional Area,Gurgaon-122001

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Date : September 16, 2014
Time : 10.00 a.m.
Place : New Delhi

Regd. Folio No.		DP ID Client ID	
(If shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder/Proxy/Representative present			

Shareholders/proxy holders/authorized representative are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission may, however, be subject to verifications/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip-Cum-Entry Pass will be issued at the entrance to the meeting hall.

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi-110001
Corporate Office: Plot No. 5, Sector-32, Institutional Area,Gurgaon-122001

(To be surrendered to the Polling counters for issue of ballot paper)

Date : September 16, 2014
Time : 10.00 a.m.
Place : New Delhi

Regd. Folio No.		DP ID Client ID	
(If shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder/Proxy/Representative present			